[2020] 14 एस. सी. आर. 372

भारत और अन्य का संघ

वी.

एग्रीकास एलएलपी और अन्य ईटीसी।

(स्थानांतरण याचिका (सिविल) सं। 496-509 2020 का)

26 अगस्त, 2020

[ए. एम. खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992। 3 (2) , 9 ए-मटर, दालों को स्थानांतरित करने के लिए आयात नीति में संशोधन करते हुए अधिसूचना, व्यापार नोटिस जारी किए गए।

आयात के लिए पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता वाली मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी तक-मान्यताः एस का कोई उल्लंघन नहीं है। 3 विवादित अधिसूचनाओं या आदेशों को जारी करने में, जो अधिकार के भीतर हैं और

इसके अलावा, अनुच्छेद 11 सहित जी. ए. टी. टी.-1994 का कार्यान्वयन प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है-एफ. टी. डी. आर. अधिनियम अनुच्छेद 11 को विधिबद्ध और परिवर्तित नहीं करता है। जी. ए. टी. टी.-1994-एस. के बावजूद। 9 ए, केंद्र सरकार जारी है और उसके पास एक आदेश द्वारा मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है एस. 3 (2)-आक्षेपित अधिसूचनाएं वैध हैं क्योंकि वे केंद्र में प्रदत्त शक्ति के अनुसार जारी की जाती हैं।

उप-धारा (2) से एस के संदर्भ में सरकार। 3 - अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संधियाँ-शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता

(जी. ए. टी. टी.), 1947; शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (जी. ए. टी. टी.), 1994-अनुच्छेद XI और XIX-भारत का संविधान-कला। 73 , 77 , 253 , भाग 11-अध्याय 1-भारत सरकार (व्यवसाय का लेनदेन) नियम, 1961-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 - एस. 11-सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012-विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993-सिद्धांत/सिद्धांत-आह्वान का सिद्धांत या

न्यायसंगतता; परिवर्तन का कार्य।

अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संधियाँ-अंतर्राष्ट्रीय संधि-शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 (जी. ए. टी. टी.-1994)-घरेलू कानून पर प्रभाव; अनुबंध करने वाले पक्ष के दायित्व-चर्चा की गई। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संधियाँ-अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत/संधि कानून घरेलू कानून में लागू-सिद्धांत-द्वैतवाद और

अद्वैतवाद पर चर्चा की गई।

लागू होना यह उप-धारा (4) से लेकर एस तक को सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ने और व्याख्या करने का सही तरीका होगा। 3 और एस। 18 ए. विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992। 3 , 9 ए-व्याख्या-चर्चा की गई।

मैक्सिम्स-लेक्स स्पेशलिस अलमनेट लेगी जनरल-जब लागू नहीं होता है-चर्चा की जाती है।

शब्द और अभिव्यक्तियाँ 'प्रत्यक्ष अनुप्रयोग'-आयोजित का अर्थः इसका अर्थ और आदेश है कि संधि के मानदंड, या तो पूरी तरह से या कुछ हद तक, सीधे घरेलू कानून के मानदंडों के रूप में माने जाते हैं और

घरेलू कानूनी प्रणाली-अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/संधियों में डिफ़ॉल्ट रूप से वैधानिक कानून की स्थिति का आनंद लें।

स्थानांतरण याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी. जी. एफ. टी.) की भूमिका और अधिकार को चुनौती देने पर चर्चा

अधिसूचना और व्यापार सूचना और "कुल मात्रा" शब्दों की व्याख्या

आयातकों ने यह तर्क उचित रूप से नहीं उठाया है कि डी. जी. एफ. टी. विवादित अधिसूचनाओं को अधिसूचित नहीं कर सकता था।

संशोधन करें और अधिसूचना जारी करें जो केंद्र सरकार की थी। न तो विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (एफ. टी. डी. आर.) की धारा 3 (2) और न ही धारा 6 (3) का उल्लंघन किया गया। अनुच्छेद 77 में किसी भी शक्ति के प्रत्यर्पण का प्रावधान नहीं है, हालांकि अनुच्छेद 77 की उप-धारा (3) के तहत, राष्ट्रपति को व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेन-देन और उसी [2020] 14 एस. सी. आर. के आवंटन के लिए नियम बनाने हैं।

मंत्रियों के बीच। भारत सरकार (व्यवसाय का लेन-देन) नियम, 1961 के तहत, सरकारी कार्यों को मंत्रियों के बीच विभाजित किया जाता है और विभिन्न मंत्रालयों को विशिष्ट कार्य आवंटित किए जाते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक भारत सरकार में एक पदेन अतिरिक्त सचिव हैं और उन्हें केंद्र सरकार द्वारा एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार को सुझाव देने के लिए नियुक्त किया जाता है। और विदेश व्यापार नीति को लागू करना। इसलिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर भी कहा गया है कि डी. जी. एफ. टी. केंद्र सरकार का एजेंट है।

सरकार और उससे संबद्ध कार्यालय। इसके अलावा, अनुच्छेद 77 का खंड (2) यह प्रदान करता है कि किसी आदेश या लिखत की वैधता या

राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित, राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित, इस आधार पर प्रश्न में नहीं लिया जाएगा कि यह राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है। इसलिए, अधिकार के बिना विवादित अधिसूचना जारी करने के विवाद को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 15] [396-ई-एच; 397-ए-ई]

दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड बनाम। अंतर्राष्ट्रीय पट्टा वित्त निगम और अन्य (2015) 8 एस. सी. सी. 446: [2015] 2 एससीआर 1040-पर निर्भर।

1.2 एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 (2) केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा वस्तुओं के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने, प्रतिबंधित करने या अन्यथा विनियमित करने के लिए अधिकृत करती है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 11 (1) माल के आयात या निर्यात पर रोक लगाती है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 11 (2), जब कोई व्यक्ति एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के उल्लंघन में कोई आयात या निर्यात करता है या करने का प्रयास करता है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश या एक्जिम नीति के तहत, वह सामान, सेवाओं या प्रौद्योगिकी के मूल्य का पांच गुना, जो भी अधिक हो, जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा भारत और अन्य संघ के आयात या निर्यात को पूरी तरह से या निर्दिष्ट शर्तों के अधीन प्रतिबंधित कर सकती है।

एग्रीकास एलएलपी

किसी भी अच्छे के लिए। सूचीबद्ध उद्देश्य व्यापक और व्यापक हैं -

1.3 कुछ आयातकों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि विवादित अधिसूचना अस्पष्टता के कारण अवैध है या लाइसेंस के विपरीत पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर सहित डेढ़ लाख मीट्रिक टन मटर (पीसम सैटिवम) की सीमित मात्रा की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक लाइसेंसधारक को अनुमति है अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिकतम मात्रा का आयात अस्वीकार कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, अधिसूचना में निर्दिष्ट कुल मात्रा प्रति लाइसेंसधारी है और अधिसूचना में निर्दिष्ट वस्तु के कुल आयात के लिए नहीं है। प्रस्तुतिकरण में कोई नहीं है

अधिसूचना के रूप में योग्यता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट वस्तु की 'कुल मात्रा' अभिव्यक्ति का उपयोग करती है जिसे आयात किया जा सकता है। अधिसूचनाओं में कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता नहीं है। अन्यथा भी 'कुल मात्रा' अभिव्यक्ति को जारी किए गए लाइसेंस की संख्या के रूप में जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार मात्रा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(भारत संघ के अनुसार 2019-20 में तुअर, मूंग और उड़द के आयात के लिए 22,48,1016 और 2915 लाइसेंस जारी किए गए थे, जो क्रमशः 4,1.5 और 4 लाख मीट्रिक टन के सीमित कोटे के खिलाफ थे)। यदि प्रत्येक लाइसेंस धारक को डेढ़ लाख मीट्रिक टन मटर का आयात करने की अनुमति दी जाती है, तो कुल आयात भारत के भीतर उत्पादन के लिए लेखांकन के बाद कुल वार्षिक खपत से अधिक होगा। यदि आयातकों की याचिका और व्याख्या स्वीकार कर ली जाती है तो यह न केवल अधिसूचना की स्पष्ट भाषा के विपरीत होगी, बल्कि कोटा निर्धारित करके उल्लिखित वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित करने के इरादे और उद्देश्य को विफल कर देगी। अधिसूचनाओं का कानूनी प्रभाव एक्जिम नीति में संशोधन करना था जिसके तहत निर्दिष्ट वस्तुएं अब से 'मुक्त' (बिना किसी प्रतिबंध के आयात योग्य) नहीं होंगी, बल्कि [2020] 14 एस. सी. आर. में आएंगी।

प्रतिबंधित श्रेणी। एक बार जब वस्तुओं को प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो लाइसेंस की आवश्यकता विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के नियम 4 के साथ पठित एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 के अधिदेश से प्रवाहित होगी। इसके अलावा, एक्जिम नीति पैराग्राफ 2.04,2.08 के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं को नियंत्रित करती है।

और नीति का 2.10। [पारस 17,18] [398-सी-जी; 399-ए-सी]

1.4 अधिसूचनाओं का प्रभाव निर्दिष्ट वस्तुओं को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में लाना है और इसलिए

विचाराधीन आयात के लिए आयात के लिए पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। अनुज्ञप्ति की आवश्यकता प्राधिकरण के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में, निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात केवल 'वास्तविक उपयोगकर्ता' द्वारा किया जाएगा, जब तक कि 'वास्तविक उपयोगकर्ता' शर्त को विशेष रूप से वितरित या कम नहीं किया गया था। डीजीएफटी। निदेशालय ने यह निर्दिष्ट करते हुए कि लाइसेंस मिलर या रिफाइनर को जारी किया जाएगा, केवल यह स्पष्ट किया है कि केवल 'वास्तविक उपयोगकर्ता' को अधिसूचना में उल्लिखित प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस की आवश्यकता है। आयातक व्यापारी होते हैं और किसी भी आयातक के मामले में ऐसा नहीं है कि वे 'वास्तविक उपयोगकर्ता' हैं। इसके अलावा, किसी भी आयातक ने प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस या प्राधिकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। 'वास्तविक उपयोगकर्ता' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने वाली एक्जिम नीति के खंड 9 का उल्लंघन न तो आरोप लगाया गया है और न ही तर्क दिया गया है। पैराग्राफ 2.10 में दो भाग हैं। पहला भाग उन वस्तुओं से संबंधित है जो स्वतंत्र हैं।

बिना किसी लाइसेंस के आयात योग्य और यह बताता है कि ऐसी वस्तुएँ जिनका कोई भी व्यक्ति आयात कर सकता है। दूसरा भाग ऐसे आयातों को संदर्भित करता है जिनके लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है न कि आयात जो बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से आयात योग्य होते हैं। वास्तविक उपयोगकर्ता '

इसलिए, शर्त डिफ़ॉल्ट रूप से तब लागू होती है जब आयात को प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। हालाँकि, डी. जी. एफ. टी. विशेष रूप से इसके साथ वितरण कर सकता है

या 'वास्तविक उपयोगकर्ता' स्थिति को कमजोर करें। [पारस 19,20] [400-सी-एफ; 401 ए-सी]

2.1 एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए और इसकी व्याख्या।

(i) शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता-1947 और 1994।

1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में सम्मेलन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की और

' विश्व बैंक ', लेकिन' भारत और अन्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ 'स्थापित करने का प्रयास।

एग्रीकास एलएलपी

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास और समन्वय के लिए संगठन

असफल हो गया और अंततः 1950 में उसे छोड़ दिया गया। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य सिद्धांतों और शुल्क में कमी की एक अनुसूची वाली एक बहुपक्षीय संधि तैयार करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय व्यापार वार्ता जारी रही। 1947 के अंत तक, शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (जी. ए. टी. टी.), 1947 और शुल्क में कमी पर काम को अंतिम रूप दिया गया और उस पर सहमति बनी। या पर

लगभग 8 जुलाई 1947 को भारत सरकार एक हस्ताक्षरकर्ता बन गई।

और जी. ए. टी. टी.-1947 की पुष्टि की। हालाँकि, जी. ए. टी. टी.-1947 को एक विफलता माना जाता है या इसका सीमित प्रभाव पड़ा है। इसके बाद 100 से अधिक देशों के साथ कई वर्षों की गहन बातचीत हुई जो अंततः 1994 में मराकेश, मोरक्को में मूल नियमों और शुल्क अनुसूचियों के साथ बुनियादी पाठ के 400 से अधिक पृष्ठों की एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संधि के साथ समाप्त हुई। हस्ताक्षरित अंतिम अधिनियम 26,000 पृष्ठों से अधिक था। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जी. ए. टी. टी.-1994) के रूप में जानी जाने वाली इस संधि पर भारत सहित 128 देशों ने 1 जनवरी 1995 को हस्ताक्षर किए थे। उसी दिन, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.), एक संस्था

सचिवालय और कर्मचारियों ने जी. ए. टी. टी. को प्रतिस्थापित किया और पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में अस्तित्व में आया। बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का कार्यकरण। संक्षेप में जी. ए. टी. टी.-1994 एक नियम-उन्मुख पैकेज है जिसमें एक ही दस्तावेज के साथ जुड़े बहुपक्षीय व्यापार समझौते शामिल हैं और यह एकल उपक्रम दृष्टिकोण के आधार पर काम करता है जिसके तहत संलग्न किए गए सभी समझौते सभी सदस्यों पर कानून के एकल निकाय के रूप में बाध्यकारी हो जाते हैं। मुख्य समझौते में प्रस्तावना और XVI लेख शामिल हैं।

विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, चार अनुलग्नक और घोषणाएं, निर्णय और समझ। अनुच्छेद XI कुछ अपवादों के साथ कोटा, आयात या निर्यात लाइसेंस और अन्य गैर-शुल्क उपायों को प्रतिबंधित करता है।

अनुलग्नक 2 में नियमों पर समझ शामिल है और

डब्ल्यू. टी. ओ. सदस्यों के बीच व्यापार विवादों के समाधान के लिए तंत्र प्रदान करते हुए विवादों के निपटारे को नियंत्रित करने वाली प्रक्रियाएं, जिसे विवाद निपटान समझ के रूप में संदर्भित किया जाता है। अनुलग्नक 3 प्रत्येक सदस्य द्वारा डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते के अनुपालन की आवधिक समीक्षा की प्रक्रिया के साथ व्यापार नीति समीक्षा तंत्र स्थापित करता है। अनुलग्नक 4 में बहुपक्षीय व्यापार समझौते शामिल हैं जो केवल उन पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया है। जी. ए. टी. टी.-1994 में भी ऐसे प्रावधान हैं जो अपवादों की अनुमति देते हैं और अनुमति देते हैं।

अनुच्छेद XIX एक अपवाद है और कभी-कभी इसे पलायन खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो गंभीर होने पर आपातकालीन कार्रवाई प्रदान करता है।

जी. ए. टी. टी.-1994 के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले के संबंध में सहानुभूतिपूर्ण विचार और परामर्श और संतोषजनक समाधान प्रदान करता है। अनुच्छेद XXIII जी. ए. टी. टी. अनुबंधित पक्ष को शिकायत करने की अनुमति देता है यदि वह इस बात पर विचार करता है कि कोई अन्य अनुबंध करने वाला पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जी. ए. टी. टी.-1994 को रद्द कर रहा है, या अन्यथा इसके उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा डाल रहा हैः (क) अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता द्वारा; (ख) उपायों द्वारा, यहां तक कि

जब वे जी. ए. टी. टी.-1994 के साथ संघर्ष में नहीं हैं; और (सी) किसी अन्य स्थिति में। ये अनुच्छेद XXII, XXIII आवश्यकता पर जोर देते हैं

परामर्श, परस्पर विरोधी उपायों को वापस लेना और संविदाकारी पक्षों द्वारा मामले का पारस्परिक संतोषजनक समाधान जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुरूप। यद्यपि उचित समय के भीतर या (ग) के मामले में संतोषजनक समायोजन तक पहुँचने में विफलता पर, मामले को जांच करने और उल्लंघन करने वाले पक्ष को सिफारिश करने के लिए संविदाकारी पक्षों को भेजा जाना है या

मामले पर, जैसा उचित हो, निर्णय लें। अनुलग्नक 2 में विवाद समाधान तंत्र में कुल 27 अनुच्छेद हैं -

143 पैराग्राफ और चार परिशिष्ट। शीर्ष पर डब्ल्यू. टी. ओ. में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता है जो हर दो साल में कम से कम नहीं होता है। इसके बाद चार परिषदें हैं, जिनमें सामान्य परिषद भी शामिल है, जिसके पास समग्र पर्यवेक्षण करने और मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के कई कार्यों को पूरा करने का अधिकार है। में।

इसके अलावा, व्यापार निवेश परिषद, व्यापार और सेवा परिषद और व्यापार संबंधी पहलुओं की परिषद हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकार। डब्ल्यूटीओ चार्टर के अनुसार, सामान्य परिषद, विवाद निपटान निकाय (डीएसबी) की जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। इस प्रकार, डब्ल्यू. टी. ओ. चार्टर जी. ए. टी. टी. समझौतों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक कानूनी और नियम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है। डी. एस. बी. स्थापित करता है

पैनल (ओं) और पैनल (और अपीलीय निकाय) की रिपोर्टों को अपनाने पर, भारत और अन्य संघों की सिफारिशों और संघ के कार्यान्वयन का प्रावधान है।

निर्णय, और सिफारिशों और निर्णयों का पालन करने में विफलता के लिए कार्रवाई को अधिकृत कर सकते हैं। विवाद समाधान तंत्र के लिए अपनाई गई प्रक्रिया इस उद्देश्य और उद्देश्य के साथ स्थितियों के त्वरित समाधान की सुविधा प्रदान करना है कि 'मराकेश समझौते' को संरक्षित किया जाए और इसे रद्द या बाधित नहीं किया जाए।

[पारस 21-24] [401-C-F, G-H; 402-A-C, F, G-H; 403-A-C, D-E; 404-A-C; 405-A-B, E]

2.2 ((ii) संविदाकारी पक्ष के दायित्व और इसके प्रभाव

घरेलू कानून पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, अर्थात् जी. ए. टी. टी.-1994।

वर्तमान मामले में प्रासंगिक दो पहलू हैं: (i) प्रयोज्यता।

घरेलू कानून में अंतर्राष्ट्रीय संधि और (ii) नगरपालिका कानून में और नगरपालिका अदालतों के समक्ष संधि की 'अनिवार्यता'।

अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी शर्त के उल्लंघन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

राज्य द्वारा अपनी घरेलू कानूनी स्थिति का उल्लेख करके। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह नियम असाधारण और गद्यात्मक है, क्योंकि इसके विपरीत दृष्टिकोण घरेलू कानून, कार्यकारी कार्रवाई या न्यायिक निर्णय के सरल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से बचने की अनुमति देगा। संविदाकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हैं और विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं। एक तरह से, इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ संप्रभु गतिविधि पर बाधा हैं, भले ही स्वेच्छा से सहमत हों। जी. ए. टी. टी.-1994 के उद्देश्य के लिए, नगरपालिका कानून तथ्य के प्रमाण हैं, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले आचरण के प्रमाण भी शामिल हैं। संधि के मानदंड और उद्देश्य। साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के अनुरूप एक आंतरिक घरेलू कानून को लागू करने में विफलता अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है, जब तक कि अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा बनाई गई ऐसी आवश्यकता और दायित्व न हो। इस तरह के किसी भी बाध्यकारी खंड के अभाव में, उल्लंघन केवल तभी होता है जब संबंधित राज्य किसी विशिष्ट अवसर पर अपने दायित्व का पालन करने में विफल रहता है। घरेलू कानून में अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत और संधि कानून की प्रयोज्यता की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों को सामने रखा गया है। द्वैतवादी स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय

नगरपालिका कानून अलग से काम करता है और इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी नियम या सिद्धांत का प्रभाव घरेलू कानून के भीतर हो सकता है।

अधिकार क्षेत्र में, इसे स्पष्ट रूप से या विशेष रूप से उपयुक्त संवैधानिक तंत्र के उपयोग से नगरपालिका कानून में परिवर्तित किया जाना चाहिए। द्वैतवाद इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून मौजूद हैं [2020] 14 एस. सी. आर.

अलग से और दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकता या उसे रद्द नहीं कर सकता।

नागरिकों/विषयों के बीच और नागरिक/विषय और राज्य के बीच। मौद्रिक कानूनी प्रणालियों में अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ शामिल हैं। घरेलू कानून में। अद्वैतवाद राष्ट्रीय कानून के भीतर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता के दावे का रूप लेता है।

क्षेत्र, इस समझ और विश्वास के साथ कि एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के लिए बुनियादी मानदंड प्रदान करते हैं, और दोनों मानदंडों की एक ही प्रणाली का हिस्सा हैं। अधिकांश न्यायविद 'प्रत्यक्ष' के बीच अंतर करते हैं। घरेलू कानून और राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों में संधियों का अनुप्रयोग जो एक के लिए 'परिवर्तन के कार्य' को अनिवार्य और आवश्यक बनाता है

लागू करने और घरेलू कानून का हिस्सा बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि। ' प्रत्यक्ष अनुप्रयोग का अर्थ और आदेश है कि संधि के मानदंडों को, या तो पूरी तरह से या कुछ हद तक, सीधे घरेलू कानून के मानदंडों के रूप में माना जाता है और घरेलू कानूनी प्रणाली में डिफ़ॉल्ट रूप से वैधानिक कानून का दर्जा प्राप्त होता है। 'प्रत्यक्ष अनुप्रयोग' शब्द उन स्थितियों को भी शामिल करेगा जिनमें सरकार या सरकार के विभिन्न स्तर घरेलू न्यायशास्त्र के हिस्से के रूप में संधि मानदंडों का उपयोग करते हैं और उन स्थितियों तक सीमित नहीं है जिनमें निजी पक्ष संधि मानदंडों के आधार पर मुकदमा कर सकते हैं। प्रत्यक्ष अनुप्रयोग और 'आह्वान' के बीच अंतर है। परिवर्तन अधिनियम 'सिद्धांत का अर्थ है और इसका तात्पर्य है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि घरेलू कानून प्रणाली में सीधे लागू नहीं होती है और इसे लागू करने से पहले घरेलू नियमों में प्रावधान की आवश्यकता होती है। 'परिवर्तन' एक व्यापक शब्द है आयाम और केवल कार्यान्वयन का उल्लेख नहीं करता है क्योंकि इसमें संधि भाषा को घरेलू न्यायशास्त्र में अपनाने, संशोधित करने या संशोधित करने का देश का अधिकार शामिल है। परिवर्तन का कार्य 'प्रत्यक्ष अनुप्रयोग' से अलग है क्योंकि पूर्व में संधि को तब तक प्राप्त नहीं किया जाता है और इसे घरेलू न्यायशास्त्र के हिस्से के रूप में नहीं माना जाता है जब तक कि इसे प्रकाशित नहीं किया जाता है और इसे अन्य कानून की तरह ही घरेलू अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संधि अनुप्रयोग के संबंध में राष्ट्रीय संवैधानिक प्रणालियों में बहुत विविधता है। [अनुच्छेद 25,27-30,32] [406-A, D-G; 407-A-H] भारत और अन्य का संघ v.

एग्रीकास एलएलपी

2.3 अब 'आह्वान' के सिद्धांत का उल्लेख करना उचित होगा। सरल शब्दों में समावेशिता न्यायसंगतता को संदर्भित करती है;

राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष दावे की ग्राह्यता। यह रक्षा या रक्षा के गुणों से जुड़ा नहीं है। मामले में

प्रत्यक्ष अनुप्रयोग की अनुमति देने वाले संविधानों के मामलों में विशेष चिंता का विषय है। यहाँ 'आह्वान' एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है संधि की प्रत्यक्ष प्रयोज्यता के किसी विशेष कानूनी मुकदमे में उपयोग पर न्यायिक नियंत्रण के साधनों की एक छोटी सूची को अपनाना। जैसा कि 'परिवर्तन अधिनियम' के मामले में, प्रत्यक्ष अनुप्रयोग मामलों में भी, कुछ क्षेत्राधिकार आंशिक प्रत्यक्ष के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। लागू करना और इसलिए, संधि सीधे कुछ उद्देश्यों के लिए लागू होती है न कि दूसरों के लिए। [पैरा 33] [410-डी-जी]

घरेलू कानूनी प्रणाली में संधियों की स्थिति; एक नीति

प्रोफेसर जॉन एच. जैक्सन का विश्लेषण निबंध -

संदर्भित किया गया।

री में। बेरूबरी यूनियन (I) ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 845: [1960] 3 एससीआर 250; राय साहिब राम जवाया कपूर और अन्य बनाम। पंजाब राज्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 549: [1955] 2 एस. सी. आर. 225; राम किशोर सेन और अन्य बनाम भारत संघ और

अन्य एआईआर 1966 एससी 644: [1966] 1 एससीआर 430-संदर्भित

को।

3. भारत में कानूनी स्थिति।

भारत में कानून अन्य राष्ट्रमंडल देशों से बहुत अलग नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को किसी अन्य देश या देश या [2020] 14 एस. सी. आर. के साथ किसी भी संधि, समझौते या समझौते को लागू करने के लिए भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या निकाय में लिए गए निर्णय। [पैरा 34] [411-सी, ई-एफ]

मगनभाई ईश्वरभाई पटेल आदि। भारत संघ (1970) 3 एससीसी 400: [1969] 3 इसके बाद एस. सी. आर. 254 आया।

4. जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 और 19 और एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 और 9 ए और सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 के अनुसार वैधानिक योजना।

जी. ए. टी. टी. 1994 पर हस्ताक्षर करने से दो साल पहले भारतीय संसद ने एफ. टी. डी. आर. अधिनियम लागू किया था जिसे 7 अगस्त 1992 से लागू किया गया था। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 11 से 14 तुरंत लागू हो गई और अन्य प्रावधान 19 जून 1992 को लागू हुए। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम ने आयात को निरस्त कर दिया था और

निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 1992 इस शर्त के साथ कि अध्यादेश के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जैसा कि दर्ज किया गया है, यह स्वीकार करने के लिए है कि विदेशी व्यापार आर्थिक गतिविधि की प्रेरक शक्ति है क्योंकि यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और परस्पर निर्भरता बढ़ रही है और नई नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करके उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था कि व्यापार नीतियां एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए एक साधन के रूप में काम करें जो निर्यात को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा, आयात को सुविधाजनक बनाएगा और निर्यात गतिविधि को अधिक लाभदायक बनाएगा। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए अध्याय 2 आई. आई. ए. में एकमात्र धारा है जिसका शीर्षक 'मात्रात्मक प्रतिबंध' है और इस धारा को 27 अगस्त 2010 से 2010 के संशोधन अधिनियम 25 द्वारा जोड़ा गया था। तत्पश्चात, शक्तियों के प्रयोग में

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त, केंद्र सरकार ने सुरक्षा उपायों को प्रकाशित और अधिसूचित किया था। उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012, जो 24 मई 2012 को भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हुए। [पारस 48,50] [424-डी-जी; 427-ए-सी]

डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय के पैनल की रिपोर्ट

" भारत-आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध

कृषि, वस्त्र और औद्योगिक उत्पाद "-संदर्भित

को।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 में, जैसा कि अधिनियमित किया गया था, उप-धारा (2) में परंतुक जोड़कर और 2010 के अधिनियम 25 द्वारा उप-धारा (4) को अंतःस्थापित करके 25 अगस्त 2010 से संशोधन किए गए थे। धारा 3 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा, आयात को सुविधाजनक बनाकर और निर्यात बढ़ाकर विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान कर सकती है। यह एक सामान्य प्रावधान है जिसका जी. ए. टी. टी.-1994 का कोई संदर्भ नहीं है। यह. विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए आधिकारिक राजपत्र में एक आदेश प्रकाशित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकृत करता है,

अर्थात् आयात और निर्यात। उप-धारा (2) में कहा गया है कि केंद्रीय

सरकार, सरकारी राजपत्र में एक आदेश द्वारा, सभी या निर्दिष्ट मामलों में वस्तुओं के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित या अन्यथा विनियमित करने के लिए एक प्रावधान कर सकती है और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि कोई हो, और अधिनियम के संशोधन के बाद 25 2010, सेवाएँ या प्रौद्योगिकी। इसलिए, धारा 3 की उप-धारा (2) केंद्र सरकार को एक आदेश द्वारा अधिकृत करती है।

आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित, आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने के प्रावधान करते हैं। आयात या निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों का अधिरोपण स्पष्ट रूप से उप-धारा (2) के अंतर्गत आएगा। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3। धारा 3 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि जहां उप-धारा (2) के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है, जिसके तहत माल का आयात या निर्यात निषिद्ध, प्रतिबंधित या अन्यथा होता है।

विनियमित, विचाराधीन माल को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत निषिद्ध माल माना जाएगा और तदनुसार

बाद के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। [पैरा 54] [438-ई-एच; 439-ए-बी]

5.2 27 अगस्त 2010 से 2010 के अधिनियम 25 द्वारा शुरू किए गए एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए की उप-धारा (4) में कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। एक ओर उप-धारा में कहा गया है कि आयात या निर्यात के लिए किसी परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के तहत आवश्यक होने के अलावा, वस्तुओं और न ही किसी भी वस्तु के आयात या निर्यात पर प्रतिबंध होगा। साथ ही, 'किसी अन्य कानून, नियम, [2020] 14 एस. सी. आर. में निहित किसी भी चीज़ के प्रति पूर्वाग्रह के बिना' वाक्यांश का उपयोग करके।

विनियम, अधिसूचना या आदेश ', यह अन्य कानून, नियम, विनियम, अधिसूचना या आदेश के संचालन की इस हद तक रक्षा करता है कि वे माल के आयात या निर्यात के लिए आवश्यक परमिट या लाइसेंस के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौदा नहीं करते हैं या माल के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। ऐसे कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश का संचालन जो माल के आयात पर प्रतिबंध पर आयात या निर्यात के लिए आवश्यक परमिट या लाइसेंस से संबंधित नहीं है, इसलिए संरक्षित है और ओवरराइड नहीं किया जाता है। इसलिए धारा 3 की उप-धारा (4) एफ. टी. डी. आर. अधिनियम को सीमित प्रधानता देती है। इसे एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के दायरे और विषय वस्तु तक सीमित करना, और अन्य कानूनों को ओवरराइड नहीं करना। यह एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 18 ए से भी स्पष्ट है जिसे 27 अगस्त 2010 से 2010 के अधिनियम 25 द्वारा अधिनियमित और जोड़ा गया था। के प्रावधान

अतः एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त है और उनका अपमान नहीं करता है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 और धारा 18 ए की उप-धारा (4) को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ने और व्याख्या करने का यह सही तरीका होगा। उप.

अतः एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 की धारा (4) में आयात और निर्यात या माल के आयात या निर्यात के निषेध के संदर्भ में कहा गया है कि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, नियमों या उसके तहत बनाए गए आदेशों के तहत आवश्यक होने के अलावा किसी भी परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता या आवश्यकता नहीं होगी। पद 'आदेश', खंड (एच) के अनुसार

एफ. टी. ए. की धारा (2) का अर्थ है धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कोई भी आदेश। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विवादित अधिसूचनाओं या आदेशों को जारी करने में एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 का कोई उल्लंघन नहीं है, जो अधिकार के भीतर हैं और अधिकार से बाहर नहीं हैं। [पैरा 55] [439-बी-ई, एफ-जी; 440-ए-बी]

5.3 जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 को सांविधिक रूप से 'परिवर्तन अधिनियम' का विषय नहीं बनाया गया है और इसे घरेलू विधान यानी एफ. टी. डी. आर. अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 को विधिबद्ध और परिवर्तित नहीं करता है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 केंद्र को सशक्त और अधिकृत करती है।

सरकार, अर्थात भारत संघ वस्तुओं के आयात या निर्यात के लिए नीति, नियम या विनियम तैयार करने के लिए। यह नीति अधिनियम की धारा 5 के तहत बनाई गई है। इस प्रकार, केंद्र सरकार अर्थात भारत संघ को भारत और अन्य संघों के आयात और निर्यात के लिए नीतियां बनाने के संबंध में आवश्यक विवेकाधिकार और चुनाव दिया गया है।

वस्तुएँ, सेवाएँ और प्रौद्योगिकी। इसलिए अनुच्छेद 11 सहित जी. ए. टी. टी.-1994 का कार्यान्वयन केंद्र पर छोड़ दिया गया है।

प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से सरकार। जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 के खंड (2) में कहा गया है कि पैराग्राफ (1) के प्रावधान उपखंड (ए), (बी) या (सी) में उल्लिखित तीन निर्दिष्ट स्थितियों तक इसका विस्तार नहीं होगा। खंड (ग) किसी भी रूप में आयातित किसी भी कृषि या मत्स्य उत्पाद पर आयात प्रतिबंधों से संबंधित है।

इसमें निर्दिष्ट सरकारी उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक। इसी तरह, जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (1) के प्रावधानों के बावजूद, कोई भी संविदाकारी पक्ष अपनी बाहरी वित्तीय सुरक्षा के लिए स्थिति और उसका भुगतान संतुलन, उस अनुच्छेद के पैराग्राफ के प्रावधानों के अधीन, आयात किए जाने की अनुमति वाले माल की मात्रा या मूल्य को प्रतिबंधित कर सकता है। अनुच्छेद 11 का अनुच्छेद (1) एक पूर्ण नियम नहीं है। यह अनुच्छेद XI, अनुच्छेद XII और अन्य प्रावधानों के पैराग्राफ (2) के रूप में अपवादों के अधीन है। बेशक, जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुरूप होने के लिए एक अनुबंधित पक्ष के लिए संबंधित अनुच्छेदों को निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा। इस स्थिति का संदर्भ तब आवश्यक और आवश्यक है जब एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9ए की व्याख्या की जाती है जो घरेलू कानून जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद XIX में शामिल है, लेकिन न तो अनुच्छेद XI और न ही निहितार्थ से सभी अपवाद। नतीजतन, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के लिए धारा 9ए को एक सक्षम प्रावधान समझा जाना चाहिए जो उसमें निर्दिष्ट स्थितियों में प्रक्रिया का पालन करने के बाद 'मात्रात्मक प्रतिबंधों' को लागू करने को सशक्त बनाता है। हालाँकि यह वस्तुओं के आयात को प्रतिबंधित, विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए केंद्र सरकार के विस्तार और शक्ति को सीमित और प्रतिबंधित नहीं करता है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 (2) की शर्तें। एक अनुक्रम के रूप में, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि धारा 9ए के बावजूद, केंद्र सरकार

5.4 एफ. टी. ए. की धारा 9ए को स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार 2010 के अधिनियम 25 द्वारा अधिनियमित किया गया था। धारा 9ए में कुछ संशोधनों के साथ जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद XIX के प्रावधान शामिल हैं। 2012 में बनाए गए नियम [2020] 14 एस. सी. आर हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जी. ए. टी.-1994 के अनुच्छेद XIX के संदर्भ में किए गए सुरक्षा उपायों पर डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते के प्रावधानों के अनुरूप भी। उप.

सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 के नियम 5 के नियम (3) में कहा गया है और नियम 9ए की प्रयोज्यता के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो हैं: (i) आयात में वृद्धि; (ii) गंभीर चोट या गंभीर चोट का खतरा; और (iii) बढ़े हुए आयात और कथित गंभीर चोट या गंभीर चोट के खतरे के बीच एक कारण संबंध। अभिव्यक्ति 'बढ़े हुए आयात' को बढ़ी हुई मात्रा के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष आयात में वृद्धि। द.

घरेलू उद्योग की स्थिति और क्रमशः गंभीर क्षति का स्पष्ट और आसन्न खतरा। 'घरेलू उद्योग' शब्द को खंड (बी) से लेकर धारा 9ए की उप-धारा (4) में भी परिभाषित किया गया है। इसी तरह, 'इच्छुक पक्ष' अभिव्यक्ति को सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 के नियम 2 के उप-नियम (डी) में परिभाषित किया गया है और इसमें निर्यातक या विदेशी शामिल हैं। व्यापार या व्यवसाय पर सुरक्षात्मक मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के उद्देश्यों के लिए माल का उत्पादक या आयातक

संगठन। इसमें निर्यातक सरकार भी शामिल है।

भारत में वस्तुओं या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का देश या उत्पादक या व्यापार या व्यावसायिक संघ। धारा 9ए को अधिनियमित करने की आवश्यकता अनुच्छेद XIX से प्रवाहित दायित्वों से उत्पन्न हुई, जैसे -

'मात्रात्मक प्रतिबंध' के रूप में प्रतिबंध के लिए एक प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है। निर्यातकों, आयातकों सहित प्रभावित पक्षों को सुनना होगा। नतीजतन, 'परिवर्तन के कार्य' की आवश्यकता थी। जी. ए. टी. टी.-1994 का अनुच्छेद XIX एक पलायन प्रावधान है, यानी एक प्रावधान जो एक संविदाकारी राज्य को जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद XI के पैराग्राफ (1) की कठोरता से बचने का अधिकार देता है। इसी तरह ' सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग शुल्क आदि के प्रावधान को लागू करके 'परिवर्तन के कार्य' किए गए हैं, लेकिन संपूर्ण जी. ए. टी. टी.-1994 वैधानिक कानून या प्रत्यायोजित कानून के माध्यम से स्थानांतरित और अधिनियमित नहीं है। यह

स्थिति होने के कारण, धारा 9ए की व्याख्या एक पलायन प्रावधान के रूप में की जानी चाहिए जब केंद्र सरकार यानी भारत संघ भारत और अन्य संघ के गैट संघ के अनुच्छेद XIX के पैराग्राफ (1) की कठोरता से बच सकता है।

एग्रीकास एलएलपी

1994. धारा 9 ए एक ऐसा प्रावधान नहीं है जो अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (1) को घरेलू कानून में शामिल या स्थानांतरित करता है।

स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। इसके विपरीत, यह अभिनिर्धारित किया जाएगा कि केंद्र सरकार को धारा के तहत 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लगाने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं है

9 एफ. टी. डी. आर. अधिनियम का ए. यह विधायी इरादे और उद्देश्य के विपरीत होगा। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए केंद्र सरकार की लागू करने की शक्ति को कम या अस्वीकार नहीं करती है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत आयात पर प्रतिबंध। [पारस 59-61] [441-F; 442-B-G; 443-A-C]

5.5 विवादित अधिसूचनाएं वैध होंगी क्योंकि वे केंद्र में प्रदत्त शक्ति के अनुसार जारी की गई हैं। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के संदर्भ में सरकार। इसलिए, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए द्वारा उप-धारा (2) से धारा 3 के तहत आयात पर प्रतिबंध लगाने के आदेश द्वारा केंद्र सरकार की शक्तियों में पूरी तरह से कटौती नहीं की गई है। [पैरा 62] [443-डी-ई]

6. निष्कर्ष

विवादित अधिसूचनाओं और व्यापार सूचनाओं को बरकरार रखा जाता है और आयातकों द्वारा दी गई चुनौती को खारिज कर दिया जाता है। अंतरिम आदेशों के आधार पर किए गए आयात को एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों के विपरीत माना जाएगा और इस तरह से निम्नलिखित प्रावधानों के तहत निपटा जाएगाः सीमा शुल्क अधिनियम 1962। स्थानांतरण याचिकाओं की रिट याचिकाओं की विषय वस्तु, निर्णय में ई के अधीन (जो तय नहीं किया गया है) खारिज कर दी जाती है। संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष हस्तक्षेप करने वालों द्वारा दायर रिट याचिकाएं इस निर्णय के संदर्भ में खारिज हो जाएंगी। [पैरा 67] [444-एफ-जी]

राज प्रकाश केमिकल बनाम। भारत संघ (1986) 2 एससीसी

297 : [1986] 1 एस. सी. आर. 448 प्रतिष्ठित।

ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड v. बीरेंद्र

बहादुर पांडे और अन्य (1984) 2 एस. सी. सी. 534: [1984] 2 एससीआर 664; जॉली जॉर्ज वर्गीज और एक अन्य बनाम। द.

बैंक ऑफ कोच्चि (1980) 2 एस. सी. सी. 360: [1980] 2 एससीआर 913;

विदेश व्यापार महानिदेशक और एक अन्य v.

कनक एक्सपोर्ट्स एंड अदर (2016) 2 एससीसी 226:

[2015]

[2020] 14 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15 एससीआर 287; एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड बनाम।

सीमा शुल्क आयुक्त (2001) 4 एस. सी. सी. 593: [2001] 1 एस. सी. आर. 608; पंजाब राज्य और एक अन्य v. दीवानों

मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड और अन्य (2004) 11 एस. सी. सी. 26: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 930; एस एंड एस एंटरप्राइज बनाम। नामित प्राधिकरण और अन्य (2005) 3 एस. सी. सी. 337: [2005] 2

केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम। केरल राज्य और एक अन्य (1973) 4 एस. सी. सी. 225: [1973] पूरक। एस. सी. आर. 1; प्रताप सिंह बनाम झारखंड और अन्न राज्य। (2005) 3 एससीसी 551: [2005] 1 एस. सी. आर. 1019-संदर्भित। करण दिलीप नेवतिया बनाम। भारत संघ (2010) 1 बम

सीआर 588 का उल्लेख किया गया है।

मैक्लेन वॉटसन एंड कंपनी Ltd.v। व्यापार और उद्योग विभाग और ए. एन. आर. (1989) 3 सभी ई. आर. 523; लोनरो एक्सपोर्ट्स बनाम। ईसीजीडी [1983] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 394; एशरशेम एन. आर. वी. जेड एर्कोविट और एनर। (1976) 1 सभी ई. आर. 920 (एच. एल.)-संदर्भित।

विश्व व्यापार संगठन, कानून, व्यवहार और नीति

मित्सुओ मात्सुशिता, थॉमस जे. शोएनबाम, पेट्रोस सी. मावरोइडिस और माइकल हैन, पृष्ठ संख्या में तीसरा संस्करण 2015। 2-3 , पृष्ठ संख्या 3 और पृष्ठ संख्या। 33-40 ; घरेलू कानूनी प्रणालियों में संधियों की स्थिति; एक नीति विश्लेषण-प्रो. जॉन। एच. जैक्सन-संदर्भित को।

मामला कानून संदर्भ

[2015] 15 एससीआर 287

पैरा 11 (सी)

संदर्भित किया गया है

[2015] 2 एससीआर 1040

उस पर भरोसा करें

पैरा 15

[1969] 3 एससीआर 254

पीछा किया।

पैरा 35

[1960] 3 एससीआर 250

संदर्भित किया गया है

पैरा 35 भारत और अन्य संघ v. एग्रीकास एलएलपी

[1955] 2 एससीआर 225

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[1966] 1 एससीआर 430

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[1984] 2 एससीआर 664

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

[1980] 2 एससीआर 913

पैरा 39

संदर्भित किया गया है

[2001] 1 एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

पैरा 41

[2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 930 संदर्भित

पैरा 42

[2005] 2 एससीआर 255

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

[2015] 14 एससीआर 848

संदर्भित किया गया है

पैरा

44

[2008] 9 एससीआर 165

संदर्भित किया गया है

पैरा

45

[1973] पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा

45

[2005] 1 एससीआर 1019

संदर्भित किया गया है

पैरा

45

[1986] 1 एससीआर 448

पैरा

65

प्रतिष्ठित

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः स्थानांतरण याचिका (सिविल)

नं. 496-509 2020 का

(सुप्रीम कोर्ट के नियम XL के साथ अनुच्छेद 139A (1) के तहत दायर याचिकाएं

न्यायालय नियम, 2013)

के साथ

टी. पी (सिविल) डी. नं. 2020 का 8823। तुषार मेहता, एसजी, अमन लेखी, एएसजी, हरीश साल्वे, अरविंद दातार,

श्याम दीवान, रवींद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रजत नायर, सुश्री स्वाति घिल्डियाल, सुश्री सुनीता शर्मा, श्रीमती अनिल कटियार, के. आर. शशिप्रभु, आशीष चौहान, आदित्य शांडिल्य, कैलाश पांडे, रंजीत सिंह, गाइचांगपोउ गंगमेई, उदयादित्य बनर्जी, के. राघवचार्युलु, बी. रमण मूर्ति, उदित मलिक, अंशुमन श्रीवास्तव, अभिजीत श्रीवास्तव, सुश्री गरिमा तिवारी, करण खन्ना, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, हितेश जैन, अमन झा, आशुतोष मोहन, अतिशय जैन।

सोमिरन शर्मा, आशीष चौहान, सुश्री स्वगोती बाच्चास, शरणश सैनी, विवेक जैन, सुश्री अंशुल शर्मा, भृगु शर्मा, सुश्री सुचित्रा कुंभट, निर्विकार सिंह, सुश्री अनीशा उपाध्याय, पुनीत परिहार, भृगु शर्मा, सुश्री वृंदा भंडारी, प्रणव जैन, सिद्धांत बक्सी, प्रदीप अग्रवाल, अंकित सेठी, लाल प्रताप सिंह, उमेश प्रताप सिंह, अर्जुन अग्रवाल, सुश्री रुचि कोहली, नितिन मिश्रा, सुश्री मिताली गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

संजीव खन्ना, जे।

हस्तक्षेप/अभियोग की मांग करने वाले आवेदनों की अनुमति है।

2. इसमें शामिल विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय, पक्षों के वकीलों की सहमति से, 29 जून के आदेश के माध्यम से 2020 एस. ओ. संख्या वाली 29 मार्च 2019 की अधिसूचनाओं की वैधता को चुनौती देते हुए सुनवाई करना और निर्णय लेना उचित समझा था। 1478 - ई, 1479-ई, 1480-ई और 1481-ई विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर कई रिट याचिकाओं में लंबित हैं। हमने भी जांच की है और फैसला किया है।

विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (इसके बाद 'एफ. टी. डी. आर. अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 6 की उप-धारा (3) के तहत बार के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) के अनुरूप नहीं होने के आधार पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 16 अप्रैल 2019 को जारी व्यापार सूचना के लिए संबंधित चुनौती।

3. तदनुसार, हमने दलीलें सुनी थीं और इस सामान्य निर्णय से संबंधित रिट याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा।

इन स्थानांतरण याचिकाओं का मामला। यह निर्णय हस्तक्षेप करने वाले आवेदकों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर भी लागू होगा।

4. सुविधा के लिए, हम केंद्र सरकार और अधिकारियों को सामूहिक रूप से 'भारत संघ' के रूप में संदर्भित करेंगे और

रिट याचिकाकर्ता समकालिक रूप से 'आयातक' के रूप में कार्य करते हैं। स्पष्टता के लिए और जहां भी आवश्यक हो, हमने विदेश व्यापार महानिदेशालय को 'डीजीएफटी' के रूप में संदर्भित किया है। डी. जी. एफ. टी. एफ. टी. एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के तहत गठित एक प्राधिकरण है और केंद्र सरकार द्वारा उन्हें विदेश व्यापार नीति पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है और उस नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

ए. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और कानूनी मुद्दे।

5. भारत संघ ने 29 मार्च 2019 की अधिसूचना के माध्यम से एफ. टी. डी. आर. की धारा 3 के तहत उसे दी गई शक्तियों का प्रयोग किया था।

अधिनियम, जिसे विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 1 और 2 के साथ पढ़ा जाता है, 2015-2020 और भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 7 की वस्तुओं की आयात नीति शर्तों में संशोधन किया गयाः

" एस. ओ. 1478 (ई)। - विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1922 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 1 और 2 के साथ पढ़ा जाता है, भारत और अन्य का केंद्रीय संघ v.

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

सरकार वस्तुओं की आयात नीति की शर्तों में संशोधन करती है

भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली), 2017 के अध्याय 7 की अनुसूची-I (आयात नीति) निम्नानुसार हैः

संशोधित नीति

आयात वस्तु विवरण

मौजूद है।

नीति

शर्त

कोड

एस. पी. पी. की बीन्स

प्रतिबंधित

मूंग का आयात विषय होगा।

0713

का वार्षिक (वित्तीय वर्ष) कोटा

विग्ना मुंगो (एल.)

3110

1.5 प्रति प्रक्रिया एक लाख मीट्रिक टन

हेपर।

महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित

विभाजन करें।

0713

विदेशी व्यापारः -

90 10

बशर्ते कि यह प्रतिबंध

0713

अन्य

सरकार के आयात पर लागू नहीं

90 90

या क्षेत्रीय समझौता या समझौता ज्ञापन।

2. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

XX

XX

X

X

एस. ओ. 1479 (ई)। - विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1922 का 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे विदेश व्यापार नीति के अनुच्छेद 1 और 2 के साथ पढ़ा जाता है, केंद्र सरकार भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सामंजस्यपूर्ण प्रणाली), 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 7 की वस्तुओं की आयात नीति शर्तों में संशोधन करती है, जो इस प्रकार हैः

आयात वस्तु विवरण

संशोधित नीति

मौजूद है।

मौजूदा नीति

कोड

शर्त

शर्त

नीति

इस अवधि के दौरान

प्रतिबंधित

के लिए प्रतिबंधित

0713 मटर (पीसम सैटिवम)

1000 पीले मटर सहित,

से अवधि

1 अप्रैल, 2019

से

हरी मटर, डन मटर

1 सेंट

31 मार्च, 2020,

जनवरी,

2019 31 तारीख तक

कुल मात्रा 1.5

और कास्पा मटर

मार्च, 2019

लाख मीट्रिक टन

मटर

0713

विभाजन करें।

अनुमति दी जाएगी।

90 10

अनुज्ञप्ति के विरुद्ध

0713 अन्य

होने की प्रक्रिया

90 90

अधिसूचित किया

गया

द्वारा

महानिदेशालय

विदेशी व्यापार

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

XX

X

X

XX

एस. ओ. 1480 (ई)। - विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (22 [2020] 14 एस. सी. आर. की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

सरकार वस्तुओं की आयात नीति की शर्तों में संशोधन करती है भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अध्याय 7 (सामंजस्यपूर्ण)

प्रणाली), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति), निम्नानुसार हैः

आयात वस्तु विवरण

मौजूद है।

पॉलिसी की संशोधित शर्त

कोड

नीति

शर्त

एस. पी. पी. की बीन्स

प्रतिबंधित।

उड़द का आयात विषय होगा।

0713

वार्षिक (वित्तीय वर्ष) कोटा के लिए

विगना

रेडिएटा

31 90

प्रक्रिया के अनुसार डेढ़ लाख मीट्रिक टन

(एल.) विलेजेक

निदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जाना

है

विभाजन करें।

0713

विदेश व्यापार का सामान्यः

90 10

0713

अन्य

बशर्ते कि यह प्रतिबंध

90 90

किसी के अधीन आयात प्रतिबद्धताएँ

द्वैपाक्षिक या क्षेत्रीय समझौता

ज्ञापन

में से

या

समझते हैं।

2. यह अधिसूचना इस तारीख से लागू होगी।

आधिकारिक राजपत्र में उल्लेख।

XX

X

X

XX

एस. ओ. 1481 (ई)। - धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (22)

सरकार वस्तुओं की आयात नीति की शर्तों में संशोधन करती है भारतीय व्यापार वर्गीकरण के अध्याय 7 (सामंजस्यपूर्ण)

प्रणाली), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति), निम्नानुसार हैः

वस्तु विवरण

एक्जिम

मौजूद है।

पॉलिसी की संशोधित शर्त

कोड

		नीति
		शर्त
		प्रतिबंधित।
	अरहर मटर (कैजानस)	
		अरहर मटर का आयात
0713		
	कजान)/तूर दल	
		(केजानस केजान)/तूर दल
60 00		
		एक वार्षिक के अधीन होगा
0713		
	विभाजन करें।	
		(वित्तीय वर्ष) 02 लाख का कोटा
90 10		
		प्रक्रिया के अनुसार एम. टी.
0713		
	अन्य	
		निदेशालय द्वारा अधिसूचित
90 90		
		विदेश व्यापार का सामान्यः
बशर्ते कि यह प्रतिबंध		
		लागू नहीं होगा
सरकार की तरफ से		
आयात करें		
		किसी के अधीन प्रतिबद्धताएँ
द्वैपाक्षिक		

क्षे

त्रीय

या

समझौता या ज्ञापन

समझने की।

भारत और अन्य का संघ v. एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.] 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2019 से लागू होगी।

6. डी. जी. एफ. टी. द्वारा 16 अप्रैल 2019 को जारी व्यापार सूचना में मटर के आयात के लिए आवेदन करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित किए गए थे। मूंग और उड़द और अरहर की फलियाँ और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार निर्धारित की गई थीं:

" ए। ए. एन. एफ.-2 एम. एफ. टी. पी. 2015-20 के अनुसार दालों के आयात के लिए इच्छुक मिलरों/रिफाइनरों (जिनकी अपनी शोधन/प्रसंस्करण क्षमता है) से नीति 2-dgft@nic पर डी. जी. एफ. टी. को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। में

संबंधित क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय प्राधिकरणों के अलावा।

7. इससे पहले, भारत संघ ने 25 अप्रैल, 2018 को एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 के तहत एक अधिसूचना जारी की थी, जिसे पैराग्राफ 1.02 के साथ पढ़ा गया था। और निर्यात-आयात (एक्जिम) नीति 2015-2020, जिसके द्वारा मटर को तीन महीने की अवधि के लिए 'मुक्त' से प्रतिबंधित 'श्रेणी में संशोधित किया गया था, इस शर्त के साथ कि 1 अप्रैल, 2018 से 30 जून, 2018 की अवधि के दौरान 1 लाख मीट्रिक टन पीले मटर की कुल मात्रा को घटाकर 1 अप्रैल, 2018 से पहले से ही आयातित मात्रा को डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी। शब्द हैं।

' पहले से ही आयातित '1 अप्रैल, 2018 से 25 अप्रैल, 2018 तक पहले से ही पहुंचे शिपमेंट और 25 अप्रैल, 2018 से पहले बैंकिंग चैनल के माध्यम से किए गए अपरिवर्तनीय ऋण पत्र या अग्रिम भुगतान द्वारा समर्थित शिपमेंट को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया था।

8. व्यापारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए

9. भारत संघ ने इससे पहले भी 5 अगस्त 2017 और 21 अगस्त 2017 को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें उड़द/मूंग और अरहर मटर/तूर दाल के आयात को 'मुफ्त' से 'प्रतिबंधित' कर दिया गया था। वार्षिक (वित्तीय वर्ष) कोटा और डी. जी. एफ. टी. से पूर्व लाइसेंस की आवश्यकता के बारे में शर्तें। 24 अप्रैल 2018 की अधिसूचनाओं के अनुसार [2020] 14 एस. सी. आर.

उड़द/मूंग और अरहर/तूर दाल की फलियाँ बनी रहने वाली थीं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक कोटा के रूप में शर्त के साथ पूर्व लाइसेंस की आवश्यकता प्रतिबंधित है।

10. एम/एस। हीरा ट्रेडर्स ने रिट याचिका संख्या दायर की थी। 15921-15924 मद्रास में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती देने के लिए 2018 का

अधिसूचना संख्या 4/2015-20 दिनांक 25 अप्रैल 2018 और व्यापार सूचना संख्या 05/2018 दिनांक 9 मई 2018, संख्या 10/2018-19 दिनांक 16 मई 2018 और संख्या 12/2018 दिनांक 18 मई 2018। उसने प्रार्थना भी की थी। अनुबंधों के अनुसार मटर के आयात के लिए अंतरिम आदेश के माध्यम से अनुमति के लिए। 28 जून 2018 के अंतरिम आदेश द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 25 अप्रैल 2018 की अधिसूचना के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, जिससे बिना आयात लाइसेंस के आयात की अनुमति दी गई थी।

11. इसके बाद कई व्यापारियों ने पहले रिट याचिकाएं दायर की थीं।

मटर और दालों के आयात पर प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाले विभिन्न उच्च न्यायालयों और कोटा या लाइसेंस के रूप में किसी भी प्रतिबंध के बिना आयात की अनुमति देने के प्रभाव वाली अधिसूचनाओं पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश पारित किए गए। इससे पहले रिट याचिकाओं में उठाए गए प्राथमिक आधार उच्च न्यायालय निम्नलिखित थेः

(क) डी. जी. एफ. टी. द्वारा जारी की गई विवादित अधिसूचनाओं का प्रभाव एक्जिम नीति को संशोधित करने या संशोधित करने पर पड़ा क्योंकि निर्दिष्ट वस्तुओं को मुक्त श्रेणी से हटा दिया गया था और उन्हें प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया गया था। लेकिन, डी. जी. एफ. टी., एक वैधानिक प्राधिकरण है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के प्रावधानों के तहत, एक्जिम नीति में संशोधन या संशोधन करने के आदेश को प्रमाणित/जारी करने के लिए अधिकृत नहीं था क्योंकि यह शक्ति एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (2) के संदर्भ में केंद्र सरकार के पास निहित है, जिसमें कहा गया है कि शक्तियां

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3,5,15,16 और 19 के तहत प्रयोग करने योग्य डी. जी. एफ. टी. या महानिदेशक के अधीनस्थ किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ख) एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 19 (3) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रत्येक नियम या प्रत्येक आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब तक वह सत्र में हो या उसके बाद, रखा जाएगा। विवादित अधिसूचनाएँ संसद के सदनों के समक्ष नहीं रखी गई थीं।

अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों पर असर पड़ता है

और भारत संघ के महानिदेशक और अन्य बनाम में इस न्यायालय द्वारा उल्लिखित दोष।

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

विदेश व्यापार और एक अन्य v. कनक निर्यात और

एक और। 1.

(घ) अधिसूचनाएँ और व्यापार नोटिस समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

12. मेसर्स द्वारा दायर रिट याचिकाएँ। हीरा ट्रेडर्स को मद्रास उच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल 2019 को खारिज कर दिया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय

13. उपरोक्त बर्खास्तगी के बावजूद, जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष 90 रिट याचिकाएं दायर की गईं जिन्हें चुनौती दी गई थी। 29 मार्च, 2019 की अधिसूचना और 16 अप्रैल, 2019 की व्यापार सूचना। इसी तरह, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे और कलकत्ता के उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की गईं। कई मामलों में आयातकों को मटर/दालों के आयात की अनुमति देने के लिए अंतरिम आदेश पारित किए गए थे, इस तथ्य के बावजूद कि उन्हें प्राधिकरण/आयात लाइसेंस जारी नहीं किया गया था या कुल आयात सीमा से अधिक होगा।

आक्षेपित अधिसूचनाओं में निर्धारित अधिकतम या कुल मात्रा।

सरकार ऐसी जांच करने के बाद, जो उचित समझी जाए, और यह संतुष्ट होने पर कि "भारत में वस्तुओं का आयात इतनी मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हो या होने का खतरा हो।" इसके अलावा, धारा 9ए की उप-धारा (3) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 1 1 (2016) 2 एस. सी. सी 226।

वैधानिक आदेश का पालन नहीं किया गया है। उपरोक्त नियम के उप-नियम (4) के तहत, अधिकृत अधिकारी को स्वतः संज्ञान कार्रवाई शुरू करने की शक्ति है यदि वह किसी भी स्रोत से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट है कि आयात में वृद्धि के संबंध में पर्याप्त सबूत निकलते हैं; घरेलू उद्योग को गंभीर चोट या गंभीर नुकसान का खतरा; और बढ़े हुए आयात और घरेलू उद्योग को गंभीर चोट या गंभीर नुकसान के खतरे के बीच कारण संबंध। प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देते हुए, हमने पक्षों को संक्षिप्त लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रस्ताव दाखिल करने का निर्देश दिया था जो वे प्रस्तावित करते हैं इस न्यायालय द्वारा निपटाए जाने वाले मुद्दों के संदर्भ में प्रचार करें। भारत संघ को माल के आयात और आयात की मात्रा से संबंधित पंजीकृत लाइसेंसों की संख्या का खुलासा करते हुए एक विवरण/नोट दाखिल करने के लिए भी कहा गया था।

देश में संबंधित वस्तुओं की औसत वार्षिक खपत। 2 जुलाई, 2020 के एक अन्य आदेश द्वारा भारत संघ को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि क्या विवादित अधिसूचनाएं 'मात्रात्मक प्रतिबंधों' की प्रकृति में हैं और यदि ऐसा है तो क्या एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9ए के तहत प्रक्रिया को सुरक्षा उपायों के साथ पढ़ा जाता है। (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 का पालन किया गया था और इसका प्रासंगिक रिकॉर्ड तैयार किया गया था। हम विस्तार से चर्चा करेंगे और बाद में तर्क पर फैसला करेंगे।

बी. अधिसूचना और व्यापार सूचना जारी करने के लिए डी. जी. एफ. टी. की भूमिका और अधिकार को चुनौती देने पर चर्चा और

"कुल मात्रा" शब्दों की व्याख्या।

15. शुरुआत में, हमें यह दर्ज करना चाहिए कि आयातकों ने, और हमारी राय में, यह तर्क नहीं उठाया है कि डी. जी. एफ. टी. ऐसा नहीं कर सका।

विवादित अधिसूचनाओं को अधिसूचित किया है। अधिसूचनाएँ स्वयं दर्ज करती हैं कि उन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। अधिसूचना के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि उन्हें केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 77 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। स्पष्ट रूप से, अधिसूचनाएँ केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई थीं, न कि डी. जी. एफ. टी. द्वारा जिसने प्रकाशन का मंत्रिस्तरीय कार्य किया था। संशोधन करने और अधिसूचना जारी करने का निर्णय केंद्र सरकार का था। न तो एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 (2) और न ही धारा 6 (3) का उल्लंघन किया गया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड बनाम में यह न्यायालय।

भारत और अन्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय पट्टा वित्त संघ v. एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

निगम और अन्य 2 ने अनुच्छेद 77 और 166 का उल्लेख किया था

संविधान और अभिनिर्धारित किया कि संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि जब भी किसी आदेश या लिखत के माध्यम से कार्यकारी कार्रवाई की जाती है, तो यह राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से व्यक्त किया जाएगा, जिनके नाम पर संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति है।

क्रमशः निहित हैं। अनुच्छेद 77 प्रत्यायोजन के लिए प्रावधान नहीं करता है कोई भी शक्ति, यद्यपि अनुच्छेद 77 की उप-धारा (3) के तहत, राष्ट्रपति को

व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक लेन-देन और मंत्रियों के बीच इसके आवंटन के लिए नियम बनाएँ। भारत सरकार (व्यवसाय का लेन-देन) नियम, 1961 के तहत, सरकारी कार्यों को मंत्रियों के बीच विभाजित किया जाता है और विभिन्न मंत्रालयों को विशिष्ट कार्य आवंटित किए जाते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक भारत सरकार में एक पदेन अतिरिक्त सचिव होता है और विदेश व्यापार नीति बनाने और उसे लागू करने में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसलिए, यहां तक कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की वेबसाइट भी बताती है कि डी. जी. एफ. टी. एक केंद्र सरकार का अभिकर्ता और उससे संबद्ध कार्यालय। इसके अलावा, अनुच्छेद 77 का खंड (2) प्रदान करता है कि राष्ट्रपति के नाम पर बनाए गए या निष्पादित किए गए आदेश या साधन की वैधता, जिस तरीके से प्रमाणित की गई हो।

राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट, इस आधार पर प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा कि यह राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया या निष्पादित आदेश या दस्तावेज नहीं है। इसलिए, विवादित को जारी करने का विवाद प्राधिकरण के बिना अधिसूचना को कायम नहीं रखा जा सकता है।

16. एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार, जैसा कि नीचे स्पष्ट और जांच की गई है, केंद्र सरकार को प्रतिबंधित करने, प्रतिबंधित करने या अन्यथा करने के लिए अधिकृत करता है।

सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा वस्तुओं के आयात या निर्यात को विनियमित करना। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 11 (1) आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करती है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों और एक्ज़िम नीति का उल्लंघन करने वाली वस्तुओं का। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 5 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक्जिम नीति तैयार करने और घोषित करने के लिए अधिकृत करती है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 11 (2) के तहत, जब कोई व्यक्ति एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश या एक्जिम नीति का उल्लंघन करते हुए कोई आयात या निर्यात करता है या उसे बढ़ावा देता है या करने का प्रयास करता है, तो वह एक लाख रुपये तक का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। 10,000 / - या वस्तुओं, सेवाओं या प्रौद्योगिकी के मूल्य का पाँच गुना, जो भी अधिक हो। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 में प्रावधान है कि केंद्रीय 2 (2015) 8 एससीसी 446 [2020] 14 एस. सी. आर.

सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा निषेध कर सकती है,

बिल्कुल या निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, किसी भी वस्तु का आयात या निर्यात। सूचीबद्ध उद्देश्य व्यापक हैं और इनमें विदेशी मुद्रा का संरक्षण और भुगतान संतुलन की सुरक्षा, वस्तुओं की कमी से बचना, किसी भी कृषि या मत्स्य उत्पाद के अधिशेष की रोकथाम, घरेलू उत्पादन को गंभीर नुकसान की रोकथाम, किसी भी उद्योग की स्थापना और अंत में "आम जनता के हित के लिए अनुकूल कोई भी अन्य उद्देश्य" शामिल हैं। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 11 के खंड (डी) के तहत किसी भी निषेध के विपरीत आयातित या निर्यात (या आयात या निर्यात करने का प्रयास) माल जब्त करने के लिए उत्तरदायी हैं।

17. हम कुछ आयातकों द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी बिना किसी हिचकिचाहट के खारिज कर देंगे कि विवादित अधिसूचना अस्पष्टता के कारण अवैध है या लाइसेंस के बदले पीली मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर सहित डेढ़ लाख मीट्रिक टन मटर (पीसम सैटिवम) की सीमित मात्रा की अनुमति देती है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक लाइसेंसधारक को अधिसूचना में निर्दिष्ट अधिकतम मात्रा का आयात करने की अनुमति है। दूसरे शब्दों में, अधिसूचना में निर्दिष्ट कुल मात्रा प्रति लाइसेंसधारी है और अधिसूचना में निर्दिष्ट वस्तु के कुल आयात के लिए नहीं है। प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उपयोग किया गया है निर्दिष्ट वस्तु की 'कुल मात्रा' जिसे आयात किया जा सकता है। अधिसूचनाओं में कोई अस्पष्टता या अस्पष्टता नहीं है, जिनके प्रासंगिक भाग ऊपर उद्धृत किए गए हैं। अन्यथा भी 'कुल मात्रा' अभिव्यक्ति को जारी किए गए लाइसेंस के अनुसार मात्रा के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि विषय वस्तुओं से संबंधित जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या हो सकती है -

संख्यात्मक (भारत संघ के अनुसार तुअर, मूंग और उड़द दाल के आयात के लिए क्रमशः 4,15 और 4 लाख मीट्रिक टन के सीमित कोटे के खिलाफ 22,48,1016 और 2915 लाइसेंस जारी किए गए थे)। यदि प्रत्येक लाइसेंस धारक को डेढ़ लाख मीट्रिक टन मटर का आयात करने की अनुमति दी जाती है, तो कुल आयात कुल वार्षिक खपत से काफी अधिक होगा। भारत में उत्पादन। हमारी राय में, आयातकों की याचिका और व्याख्या यदि स्वीकार की जाती है तो यह न केवल स्पष्ट भाषा के विपरीत होगी

अधिसूचना की लेकिन एक कोटा निर्धारित करके बताए गए माल के आयात को प्रतिबंधित करने के इरादे और उद्देश्य को विफल कर देगा। हम अस्वीकार करते हैं और सरल और सीधे शब्दों की इस दूरगामी और कुछ हद तक सरल व्याख्या को स्वीकार नहीं करेंगे।

18. हम आयातकों द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर देंगे कि डी. जी. एफ. टी. द्वारा जारी किए गए व्यापार नोटिस एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 3 और 5 का उल्लंघन करते हैं क्योंकि उनका प्रभाव अधिसूचनाओं को हटाने या एक नया मानदंड और भारत और अन्य देशों के संघ को लागू करने का था।

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

अधिसूचना द्वारा पात्रता शर्त की परिकल्पना नहीं की गई है। अधिसूचनाओं का कानूनी प्रभाव एक्जिम नीति में संशोधन करना था जिसके तहत निर्दिष्ट किया गया था

अब से वस्तुएँ 'मुक्त' नहीं होंगी (बिना आयात के)। प्रतिबंध) लेकिन प्रतिबंधित श्रेणी में आएगा। एक बार जब वस्तुओं को प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो लाइसेंस की आवश्यकता विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 के नियम 4 के साथ पठित एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 के अधिदेश से प्रवाहित होगी। नियम 4 इस प्रकार हैः

" 4. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन-एक व्यक्ति कर सकता है

माल के आयात या निर्यात के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन

नीति के प्रावधानों या किए गए आदेश के अनुसार

धारा 3 "के तहत।

इसके अलावा, एक्जिम नीति के तहत प्रतिबंधित वस्तुओं को विनियमित किया जाता है।

नीति के अनुच्छेद 2.04,2.08 और 2.10, जो निम्नानुसार हैंः

" 2.04 प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करने का अधिकार

डी. जी. एफ. टी. किसी निर्यातक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट कर सकता है या

आयातक द्वारा या किसी भी लाइसेंस/क्षेत्रीय प्राधिकरण (आर. ए.) द्वारा या किसी भी एफ. टी. के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्यों के लिए अन्य प्राधिकरण

(डी एंड आर) अधिनियम, इसके तहत बनाए गए नियम और आदेश और एफ. टी. पी.। ऐसी प्रक्रिया या संशोधन, यदि कोई हों, को माध्यमों से प्रकाशित किया जाएगा।

एक सार्वजनिक सूचना।

XX

XX

X

X

2.08 प्रतिबंधित वस्तुओं/सेवाओं का निर्यात/आयात

कोई भी वस्तु/सेवा, जिसका निर्यात या आयात 'प्रतिबंधित' है।

प्राधिकरण/अनुमति या प्रक्रिया के अनुसार इस संबंध में जारी अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्धारित।

X

X

XX

XX

2.10 वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति

ऐसी वस्तुएँ जो बिना किसी 'प्रतिबंध' के स्वतंत्र रूप से आयात की जा सकती हैं

किसी भी व्यक्ति द्वारा आयात किया जाए। हालांकि, अगर इस तरह के आयात की आवश्यकता है

प्राधिकरण, केवल वास्तविक उपयोगकर्ता ही ऐसी वस्तुओं का आयात कर सकता है जब तक कि

वास्तविक उपयोगकर्ता स्थिति विशेष रूप से डी. जी. एफ. टी. द्वारा प्रदान की जाती है।

पैराग्राफ 2.08 में कहा गया है कि कोई भी वस्तु या सेवा, आयात या निर्यात

जिनमें से प्रतिबंधित है, केवल प्राधिकरण/अनुमति के अनुसार या प्रक्रिया [2020] 14 एस. सी. आर. के अनुसार निर्यात या आयात किया जा सकता है।

इस संबंध में अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना में निर्धारित। पैराग्राफ 2.04 में कहा गया है कि डी. जी. एफ. टी. द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट किया जा सकता है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, नियमों और आदेशों के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से निर्यातक या आयातक या लाइसेंस/क्षेत्रीय प्राधिकरण आदि द्वारा

19. अधिसूचनाओं का प्रभाव, जैसा कि देखा गया है और इसमें कोई संदेह नहीं है, निर्दिष्ट वस्तुओं को मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में लाना है और इसलिए विचाराधीन आयात के लिए आयात के लिए पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। अनुज्ञप्ति की आवश्यकता प्राधिकरण के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए, पैराग्राफ 2.10 के संदर्भ में, निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात केवल 'वास्तविक उपयोगकर्ता' द्वारा किया जाएगा, जब तक कि 'वास्तविक उपयोगकर्ता' शर्त को डी. जी. एफ. टी. द्वारा विशेष रूप से वितरित या कम नहीं किया गया था। द.

निदेशालय ने यह निर्दिष्ट करते हुए कि लाइसेंस मिलर या रिफाइनर को जारी किया जाएगा, केवल यह स्पष्ट किया है कि केवल वास्तविक उपयोगकर्ता को अधिसूचना में उल्लिखित प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस की आवश्यकता है। आयातक हैं व्यापारी और यह किसी भी आयातक के मामले में नहीं है कि वे 'वास्तविक उपयोगकर्ता' हैं। इसके अलावा, किसी भी आयातक ने प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस या प्राधिकरण के लिए आवेदन नहीं किया है। 'वास्तविक उपयोगकर्ता' अभिव्यक्ति को परिभाषित करने वाली एक्जिम नीति के खंड 9 का उल्लंघन न तो आरोप लगाया गया है और न ही हमारे सामने तर्क दिया गया है।

(क) "वास्तविक उपयोगकर्ता (औद्योगिक)" एक ऐसा व्यक्ति (या तो प्राकृतिक और कानूनी) है जो अपनी औद्योगिक इकाई में विनिर्माण के लिए आयातित वस्तुओं का उपयोग करता है या किसी अन्य इकाई में अपने उपयोग के लिए विनिर्माण करता है, जिसमें एक नौकरी इकाई भी शामिल है जिसका एक निश्चित डाक पता होता है। (बी) "वास्तविक उपयोगकर्ता (गैर-औद्योगिक)" एक व्यक्ति (या तो प्राकृतिक और कानूनी) है जो आयातित वस्तुओं का उपयोग अपने स्वयं के उपयोग के लिए करता हैः

(i) कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा चलाने वाला कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जिसका एक निश्चित डाक पता हो; या

((ख) कोई प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) संस्थान, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल जिसका निश्चित डाक पता हो; या ((iii) कोई भी सेवा उद्योग जिसका एक निश्चित डाक पता हो।

20. आयातकों ने यह तर्क दिया है कि पैराग्राफ 2.10 के दूसरे वाक्य में 'यदि ऐसा आयात' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है।

पैराग्राफ 2.10 के पहले वाक्य को योग्य बनाता है। हम विवाद को स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि पैराग्राफ 2.10 में दो भाग होते हैं। पहला भाग उन वस्तुओं से संबंधित है जो बिना किसी लाइसेंस के स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हैं और कहता है कि ऐसी वस्तुएं जिन्हें कोई भी व्यक्ति आयात कर सकता है। दूसरा भाग ऐसे आयातों को संदर्भित करता है जिनके लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होती है न कि आयात जो बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्र रूप से आयात योग्य होते हैं। इसलिए वास्तविक उपयोगकर्ता की शर्त डिफ़ॉल्ट रूप से तब लागू होती है जब आयात को प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। हालांकि, डी. जी. एफ. टी. विशेष रूप से 'वास्तविक उपयोगकर्ता' स्थिति को समाप्त या कम कर सकता है।

ग. एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए और इसकी व्याख्या।

(i) शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता-1947 और 1994।

21. 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में हुए सम्मेलन ने 'अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष' और 'विश्व मुद्रा कोष' की स्थापना की।

बैंक ', लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने और समन्वय करने के लिए' अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 'की स्थापना का प्रयास विफल रहा और अंततः 1950 में इसे छोड़ दिया गया। हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य सिद्धांतों और शुल्क में कमी की एक अनुसूची वाली एक बहुपक्षीय संधि तैयार करने के उद्देश्य से बहुपक्षीय व्यापार वार्ता जारी रही। 1947 के अंत तक, शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता (जी. ए. टी. टी.), 1947 और शुल्क में कमी पर काम को अंतिम रूप दिया गया और उस पर सहमति बनी। अंतरिम

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का आयोग जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित जी. ए. टी. टी. सचिवालय बन गया। 8 जुलाई 1947 को या उसके आसपास, भारत सरकार एक हस्ताक्षरकर्ता बन गई और जी. ए. टी. टी.-1947 की पुष्टि की। हालाँकि, जी. ए. टी. टी.-1947 को एक विफलता माना जाता है या इसका सीमित प्रभाव पड़ा है। अधिकांश न्यायविदों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि जी. ए. टी. टी.-1947 'जन्म दोष' से पीड़ित था क्योंकि इसका कोई कानूनी व्यक्तित्व नहीं था, इसकी कमी थी

एक चार्टर के अभाव में स्थापित प्रक्रियाएं और संगठनात्मक संरचना; 'अनंतिम अनुप्रयोग' था क्योंकि इसमें अनुबंध करने वाले दलों को 'दादा-दादी के अधिकारों' के साथ असंगत कानूनों को बनाए रखने की अनुमति देने वाले प्रावधान थे और इसके बारे में अस्पष्टता और भ्रम था

जी. ए. टी. टी. का अधिकार और निर्णय लेने की क्षमता। 22. इसके बाद 100 से अधिक देशों के बीच कई वर्षों की गहन वार्ता हुई जो अंततः 1994 में मराकेश में समाप्त हुई।

4 विश्व व्यापार संगठन, कानून, अभ्यास और नीति मित्सुओ मात्सुशिता, थॉमस जे. शोएनबाम, पेट्रोस सी. मावरोइडिस, और माइकल हैन, पृष्ठ संख्या में तीसरा संस्करण 2015। 2- 3 .

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एंटीडम्पिंग और काउंटरवेलिंग कर्तव्य। अनुच्छेद VII सीमा शुल्क उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन पर नियमों को शामिल करता है। अनुच्छेद 11, जिसकी हम बाद में जांच करेंगे, कुछ अपवादों के साथ कोटा, आयात या निर्यात लाइसेंस और अन्य गैर-शुल्क उपायों को प्रतिबंधित करता है। अनुलग्नक 1 ए में अनुसूची शामिल है - प्रत्येक प्रमुख व्यापारिक देश से रियायतें और एक सामान्य व्याख्यात्मक नोट जो प्रदान करता है कि जी. ए. टी. टी. 1994 के प्रावधानों और एक अन्य अनुलग्नक ए-1 समझौते के बीच संघर्ष की स्थिति में, बाद के प्रावधान नियंत्रित करेंगे। अनुलग्नक 1 बी में व्यापार पर सामान्य समझौता शामिल है।

सेवाएँ। अनुलग्नक 1 सी में बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता शामिल है। अनुलग्नक 2 में विवादों के निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं पर समझ शामिल है, जिसे विवाद निपटान समझ के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच व्यापार विवादों के समाधान के लिए तंत्र प्रदान करता है।

अनुलग्नक 3 भारत और अन्य संघ v के साथ व्यापार नीति समीक्षा तंत्र स्थापित करता है।

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

प्रत्येक सदस्य द्वारा डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते के अनुपालन की आवधिक समीक्षा के लिए प्रक्रिया। अनुलग्नक 4 में बहुपक्षीय व्यापार समझौते शामिल हैं जो केवल उन पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं जिन्होंने उन्हें स्वीकार किया है।

23. जी. ए. टी. टी.-1994 में भी ऐसे प्रावधान हैं जो अनुमति और अनुमति देते हैं।

अपवाद। अनुच्छेद XII, XIII, XV और XVII, धारा B में शेष भुगतान उद्देश्यों के लिए कोटा के अपवाद हैं, अनुच्छेद XVIII और भाग IV के अनुसार विकासशील देशों के लिए अपवाद हैं और अनुच्छेद XX में स्वास्थ्य, सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और अन्य मामलों के लिए अपवाद हैं। अनुच्छेद XIX, जिसका हम फिर से उल्लेख करेंगे, एक अपवाद है और कभी-कभी पलायन खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो आपातकाल प्रदान करता है।

कार्रवाई जहां गंभीर चोट लगी हो या घरेलू उद्योग को खतरा हो। अनुच्छेद XXI, सीमा शुल्क के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपवाद हैं।

संघ और मुक्त व्यापार क्षेत्र अनुच्छेद XXIV के अनुसार, अनुबंधित पक्षों द्वारा अनुच्छेद XXV के अनुसार छूट और अनुच्छेद XXXV5 के अनुसार जब कोई नया सदस्य जी. ए. टी. टी. में शामिल होता है तो 'एक बार के आधार' पर 'ऑप्ट आउट' विकल्प।

24. 'मराकेश समझौता' नियमों को लागू और शामिल करता है।

विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के आचरण को विनियमित करने वाला उन्मुख दृष्टिकोण और यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि शुल्क रियायतें और बहुपक्षीय व्यापार

संधि इच्छित रूप से काम करती है और कमजोर नहीं होती है। अनुच्छेद XXII सहानुभूतिपूर्ण विचार और परामर्श और संतोषजनक समाधान प्रदान करता है। जी. ए. टी. टी.-1994 के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले के संबंध में। लेख

'XXIII' एक जी. ए. टी. टी. अनुबंधित पक्ष को शिकायत करने की अनुमति देता है। 5 विश्व व्यापार संगठन, कानून, अभ्यास और नीति मित्सुओ मात्सुशिता, थॉमस जे. शोएनबाम, पेट्रोस सी. मावरोइडिस और माइकल हैन, पृष्ठ संख्या 3 पर तीसरा संस्करण 2015।

6 XXII। परामर्श 1. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस समझौते के संचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले के संबंध में किसी अन्य संविदाकारी पक्ष द्वारा किए जाने वाले अभ्यावेदन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा और परामर्श के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। 2. संविदाकारी पक्ष, संविदाकारी पक्ष के अनुरोध पर, किसी भी मामले के संबंध में किसी भी संविदाकारी पक्ष या पक्ष के साथ परामर्श कर सकते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित परामर्श के माध्यम से संतोषजनक समाधान खोजना संभव नहीं है।

अनुच्छेद 1.

7 XXIII। शून्यीकरण या हानि 1. यदि किसी संविदाकारी पक्ष को यह विचार करना चाहिए कि इस समझौते के तहत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्राप्त होने वाले किसी भी लाभ को रद्द या बाधित किया जा रहा है या समझौते के किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति (ए) किसी अन्य संविदाकारी पक्ष की विफलता के

परिणामस्वरूप बाधित हो रही है। इस समझौते के प्रावधानों के साथ, या (सी) किसी अन्य स्थिति के अस्तित्व के साथ, [2020] 14 एस. सी. आर.

इस बात पर विचार करें कि कोई अन्य संविदाकारी पक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रद्द कर रहा है, जी. ए. टी. टी.-1994 को बाधित करना या अन्यथा इसके उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा डालनाः (क) अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता द्वारा; (ख) उपायों द्वारा, भले ही वे जी. ए. टी. टी.-1994 के साथ संघर्ष में न हों; और (ग) किसी अन्य स्थिति में। इन अनुच्छेदों में परामर्श की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुरूप, संबंधित संविदाकारी पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी उपाय और मामले का पारस्परिक संतोषजनक समाधान। फिर भी।

उचित समय के भीतर या (ग) (ऊपर) के मामले में संतोषजनक समायोजन तक पहुंचने में विफलता पर, मामले को जांच करने और उल्लंघन करने वाले पक्ष को सिफारिश करने या मामले पर निर्णय लेने के लिए संविदाकारी पक्षों को भेजा जाना चाहिए। जैसा कि वर्तमान मामले में विचार के लिए राष्ट्रीय या घरेलू न्यायालय के आह्वान और अधिकार क्षेत्र का प्रश्न उत्पन्न होता है, हम अनुलग्नक 2 में विवाद समाधान तंत्र पर थोड़ा विस्तार से बताना चाहेंगे। इसमें 27 अनुच्छेद हैं जिनमें कुल 143 अनुच्छेद और चार परिशिष्ट हैं। वर्तमान मामले के लिए, यह दर्ज करना पर्याप्त होगा कि शीर्ष पर डब्ल्यूटीओ में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन होता है जो हर दो साल में कम से कम नहीं होता है। इसके बाद चार परिषदें हैं, जिनमें सामान्य परिषद भी शामिल है।

प्राधिकरण का पर्यवेक्षण करना और मंत्रिस्तरीय कार्यों को पूरा करना

सम्मेलन। इसके अलावा, हमारे पास व्यापार निवेश परिषद, व्यापार निवेश परिषद है। संविदाकारी पक्ष, मामले के संतोषजनक समायोजन की दृष्टि से, अन्य संविदाकारी पक्ष या पक्षों को लिखित अभ्यावेदन या प्रस्ताव दे सकता है जिन्हें वह संबंधित मानता है। इस प्रकार संपर्क किया गया कोई भी संविदाकारी पक्ष उसे किए गए अभ्यावेदन या प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

2. यदि उचित समय के भीतर संबंधित संविदाकारी पक्षों के बीच कोई संतोषजनक समायोजन नहीं किया जाता है, या यदि कठिनाई इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 (सी) में वर्णित प्रकार की है, तो मामला संविदाकारी दलों को भेजा जा सकता है। द.

संविदाकारी पक्ष इस प्रकार संदर्भित किसी भी मामले की तुरंत जांच करेंगे और संविदाकारी पक्षों को उचित सिफारिशें करेंगे जिन्हें वे संबंधित मानते हैं, या मामले पर एक निर्णय देंगे, जैसा कि उचित हो। संविदाकारी पक्ष संविदाकारी पक्षों के साथ परामर्श कर सकते हैं, आर्थिक के साथ और संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक परिषद और किसी भी उपयुक्त अंतर-सरकारी संगठन के साथ ऐसे मामलों में जहां वे इस तरह के परामर्श को आवश्यक समझते हैं। अगर

अनुबंध करने वाले पक्ष मानते हैं कि परिस्थितियां इस तरह की कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त गंभीर हैं, वे एक अनुबंध करने वाले पक्ष या पक्षों को किसी अन्य अनुबंध करने वाले पक्ष या पक्षों को इस समझौते के तहत ऐसी रियायतों या अन्य दायित्वों के आवेदन को निलंबित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं क्योंकि वे इस समझौते में उचित होने का निर्धारण करते हैं।

परिस्थितियाँ। यदि किसी संविदाकारी पक्ष को किसी रियायत या अन्य दायित्व का आवेदन वास्तव में निलंबित कर दिया जाता है, तो वह संविदाकारी पक्ष इस तरह की कार्रवाई किए जाने के साठ दिनों के बाद कार्यकारी सचिव 1 को इस समझौते से हटने के अपने इरादे की लिखित सूचना देने के लिए स्वतंत्र होगा।

और ऐसी वापसी उस दिन के बाद साठवें दिन से प्रभावी होगी जिस दिन उसे ऐसी सूचना प्राप्त होती है।

व्यापार और सेवाएँ, और व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों के पहलू। डब्ल्यू. टी. ओ. चार्टर के अनुसार सामान्य परिषद,

विवाद निपटान निकाय (डी. एस. बी.) की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। इस प्रकार, डब्ल्यू. टी. ओ. चार्टर जी. ए. टी. टी. समझौतों के उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक कानूनी और नियम-उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है। डी. एस. बी. पैनल (ओं) की स्थापना करता है और पैनल (और अपीलीय निकाय) की रिपोर्टों को अपनाने पर, सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान करता है और

निर्णय, और अनुपालन करने में विफलता के लिए कार्रवाई को अधिकृत कर सकते हैं

सिफारिशें और निर्णय। डी. एस. बी., हालांकि सामान्य परिषद का एक हिस्सा है, इसका अपना अध्यक्ष है और अलग-अलग प्रक्रियाओं का पालन करता है। पैनल आम तौर पर तीन व्यक्तियों से बने होते हैं, और असाधारण मामलों में पांच, जो डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों के रोस्टर में से चुने गए अच्छी तरह से योग्य सरकारी या गैर-सरकारी व्यक्ति होते हैं। पैनल के सदस्य अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं में काम करते हैं न कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के प्रतिनिधि। अपीलीय निकाय पैनल के निर्णयों की समीक्षा करता है। अपीलीय निकाय एक स्थायी संस्थान है जो डी. एस. बी. द्वारा चार साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त सात व्यक्तियों से बना है। के सदस्य

अपीलीय निकाय कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रदर्शित विशेषज्ञता के साथ मान्यता प्राप्त प्राधिकरण वाले व्यक्ति होने चाहिए जो किसी भी सरकार से संबद्ध नहीं हैं। अपीलीय निकाय की सदस्यता व्यापक रूप से डब्ल्यूटीओ की सदस्यता का प्रतिनिधित्व करती है। विवाद समाधान तंत्र के लिए अपनाई गई प्रक्रिया शीघ्र सुविधा प्रदान करना है।

इस उद्देश्य और उद्देश्य के साथ स्थितियों का निपटान कि 'मराकेश समझौता' संरक्षित है और रद्द या बाधित नहीं है। ((ii) अनुबंध करने वाले पक्ष के दायित्व और घरेलू कानून पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, अर्थात् जी. ए. टी. टी.-1994 का प्रभाव।

25. राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों में संधियों का अनुप्रयोग और इस तरह से लागू किए जाने वाले मानदंडों की पदानुक्रमित स्थिति असाधारण है।

जटिल और संवैधानिक और अन्य नगरपालिका नियमों के आधार पर देश-दर-देश भिन्न होते हैं। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के संबंध में कई कानूनी और संवैधानिक मुद्दे घरेलू कानून में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि बातचीत करने, हस्ताक्षर करने और एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व या संधि से बाहर निकलने की शक्ति।

राष्ट्रीय संवैधानिक कानून के तहत एक संधि की वैधता, संधि के दायित्वों को लागू करने की शक्ति और घरेलू कानून में संधि की प्रयोज्यता जिसमें प्रत्यक्ष प्रयोज्यता और घरेलू कानून में मानदंडों के पदानुक्रम के विपरीत अनिवार्यता या न्याय्यता का सिद्धांत शामिल है, जहां संधि

मानदंड घरेलू कानून के मानदंडों के साथ संघर्ष करते हैं। इन पहलुओं पर दृष्टिकोण में कोई एकरूपता नहीं है क्योंकि [2020] 14 एस. सी. आर. की विभिन्न राष्ट्रीय प्रणालियाँ हैं।

संधि आवेदन। वर्तमान मामले में प्रासंगिक दो पहलू हैं: (i) घरेलू कानून में अंतर्राष्ट्रीय संधि की प्रयोज्यता और (ii) नगरपालिका कानून में और नगरपालिका अदालतों के समक्ष संधि की 'अनिवार्यता'।

26. प्रयोज्यता पर अलग-अलग संवैधानिक और वैधानिक दृष्टिकोण होने के बावजूद, अंतर्राष्ट्रीय संधि के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में राज्य अनुरूपता से कार्य करने और उल्लंघनों के लिए जिम्मेदारी लेने के लिए बाध्य हैं, चाहे वह विधायी अधिनियम, कार्यकारी कार्रवाई या न्यायिक निर्णयों के परिणामस्वरूप हो। राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के उल्लंघन के दावे के बचाव के रूप में न्यायिक निर्णयों सहित आंतरिक कानून का पक्ष नहीं ले सकता है और उस पर भरोसा नहीं कर सकता है। विधान के अधिनियमों, कार्यकारी उपायों और न्यायिक निर्णय लेने को तीसरे पक्ष के अधिनियमों के रूप में नहीं माना जाता है जिसके लिए राज्य जिम्मेदार नहीं है। राष्ट्रीय कानून, कार्यकारी आदेश और कार्रवाई और घरेलू अदालतों के निर्णय ऐसे तथ्य हैं जो व्यक्त करते हैं। राज्य की इच्छा और गठन गतिविधियाँ। अंतर्राष्ट्रीय कानून में, नगरपालिका कानून संधियों पर हावी नहीं हो सकते हैं क्योंकि आंतरिक कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का पालन करना चाहिए। वे संधि का उल्लंघन हो सकते हैं।

27. इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी शर्त के उल्लंघन को राज्य द्वारा अपनी घरेलू कानूनी स्थिति का उल्लेख करके उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह नियम असाधारण और गद्यात्मक है, क्योंकि इसके विपरीत दृष्टिकोण घरेलू कानून, कार्यकारी कार्रवाई या न्यायिक निर्णय के सरल तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों से बचने की अनुमति देगा। संविदाकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हैं और विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका द्वारा किए गए उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं। एक तरह से,

इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ संप्रभु गतिविधि पर बाधा हैं, भले ही स्वेच्छा से सहमत हों।

अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा बनाया गया। इस तरह के किसी भी बाध्यकारी खंड के अभाव में, उल्लंघन केवल तभी होता है जब संबंधित राज्य किसी विशिष्ट अवसर पर अपने दायित्व का पालन करने में विफल रहता है। 8 प्रो. जॉन। एच. जैक्सन ने अपने निबंध में-घरेलू कानूनी प्रणालियों में संधियों की स्थिति; एक नीति विश्लेषण।

29. प्रयोज्यता की व्याख्या करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों को सामने रखा गया है।

घरेलू कानून में अंतर्राष्ट्रीय प्रथागत और संधि कानून। द्वैतवादी स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय नगरपालिका कानून अलग से काम करता है और इससे पहले कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के किसी भी नियम या सिद्धांत का घरेलू अधिकार क्षेत्र में प्रभाव हो, इसे उचित संवैधानिक तंत्र के उपयोग से स्पष्ट रूप से या विशेष रूप से नगरपालिका कानून में परिवर्तित किया जाना चाहिए। द्वैतवाद इस बात पर जोर देता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और नगरपालिका कानून अलग-अलग मौजूद हैं और दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं या उन्हें रद्द नहीं कर सकते हैं। नतीजतन, नगरपालिका कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक साथ काम कर सकते हैं क्योंकि वे विनियमित करते हैं।

अलग-अलग विषय। अंतर्राष्ट्रीय कानून संप्रभु राज्यों के बीच होता है, जबकि नगरपालिका कानून राज्य के भीतर लागू होता है और नागरिकों/विषयों और नागरिक/विषय और राज्य के बीच कानूनी संबंधों को नियंत्रित करता है। मौद्रिक कानूनी प्रणालियों में घरेलू कानून में अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ शामिल हैं। अद्वैतवाद सर्वोच्चता के दावे का रूप लेता है

राष्ट्रीय क्षेत्र के भीतर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून, इस समझ और विश्वास के साथ कि एक व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के लिए बुनियादी मानदंड प्रदान करते हैं, और दोनों मानदंडों की एक ही प्रणाली का हिस्सा हैं।

30. अधिकांश न्यायविद घरेलू कानून में संधियों के 'प्रत्यक्ष अनुप्रयोग' और राष्ट्रीय कानूनी प्रणालियों के बीच अंतर करते हैं जो और

एक अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने और घरेलू कानून का हिस्सा बनने के लिए 'परिवर्तन के कार्य' की आवश्यकता होती है। प्रत्यक्ष अनुप्रयोग का अर्थ और आदेश है कि संधि के मानदंडों को, या तो पूरी तरह से या कुछ हद तक, सीधे घरेलू कानून के मानदंडों के रूप में माना जाता है और घरेलू कानूनी प्रणाली में डिफ़ॉल्ट रूप से वैधानिक कानून का दर्जा प्राप्त होता है। 'प्रत्यक्ष अनुप्रयोग' शब्द उन स्थितियों को भी शामिल करेगा जिनमें सरकार या सरकार के विभिन्न स्तर घरेलू न्यायशास्त्र के हिस्से के रूप में संधि मानदंडों का उपयोग करते हैं और इन तक सीमित नहीं है - ऐसी स्थितियाँ जिनमें निजी पक्ष संधि मानदंडों के आधार पर मुकदमा कर सकते हैं। जैसा कि नीचे बताया गया है, प्रत्यक्ष अनुप्रयोग और 'आह्वान' के बीच अंतर है। परिवर्तन अधिनियम 'सिद्धांत का अर्थ है और इसका तात्पर्य है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि घरेलू कानून प्रणाली में सीधे लागू नहीं होती है और इसे लागू करने से पहले घरेलू नियमों में प्रावधान की आवश्यकता होती है। 'परिवर्तन' व्यापक आयाम का एक शब्द है और यह केवल कार्यान्वयन को संदर्भित नहीं करता है क्योंकि इसमें संधि भाषा को घरेलू न्यायशास्त्र में अपनाने, संशोधित करने या संशोधित करने का देश का अधिकार शामिल है। का कार्य

परिवर्तन 'प्रत्यक्ष अनुप्रयोग' से अलग है क्योंकि पूर्व में संधि को प्राप्त नहीं किया जाता है और इसे घरेलू न्यायशास्त्र के हिस्से के रूप में तब तक नहीं माना जाता है जब तक कि इसे प्रकाशित नहीं किया जाता है और इसे अन्य कानून की तरह ही घरेलू अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनाया जाता है।

0] 14 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

31. नीदरलैंड के संविधान को आम तौर पर माना जाता है

अद्वैतवादी क्योंकि यह स्पष्ट रूप से प्रदान करता है कि कुछ संधियाँ सीधे लागू होती हैं और संधियाँ संवैधानिक कानूनों सहित सभी कानूनों से बेहतर होती हैं। फ्रांस के 1958 के संविधान में भी बाद के कानूनों की तुलना में संधियों के लिए प्रत्यक्ष अनुप्रयोग और उच्च स्थिति का आह्वान किया गया है। बेल्जियम और स्विट्जरलैंड के संविधानों में इसी तरह के प्रावधान अलग-अलग तरीकों से पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यायशास्त्र के तहत, 'स्व-निष्पादन संधियों' के बीच एक अंतर किया जाता है जिन्हें सीधे लागू किया जा सकता है और 'गैर-स्व-निष्पादन संधियों' के बीच एक अंतर किया जाता है। अदालतों ने फैसला सुनाया है कि एक सीधे स्व-निष्पादन संधि का दर्जा संघीय कानूनों के समान है और समय में नवीनतम है।

इसलिए प्रबल होता है। नतीजतन, बाद में एक आंतरिक संघीय मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हावी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका की कानूनी प्रणाली में जी. ए. टी. टी.-1994 एक 'गैर-स्व-निष्पादन संधि' है। यूरोपीय संघ की स्थापना दो संधियों द्वारा की गई है, अर्थात् यूरोपीय संघ की संधि और यूरोपीय संघ पर संधि। यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली। सदस्य देशों ने यूरोपीय संघ को ऐसी क्षमता के लिए जिम्मेदार ठहराया है जो या तो एक-प्राथमिकता प्रदान कर सकती है

यूरोपीय कानून के साथ असंगत प्रासंगिक राज्य गतिविधि या इस तरह के कानूनी शीर्षक के उपयोग के माध्यम से, राज्यों को कार्य या कानून बनाना जारी रखने से पहले खाली कर सकती है। इससे यूरोपीय संघ से बाहर के लोग अलग हो सकते हैं। साझा आंतरिक क्षमता के क्षेत्र में भी योग्यता। यूरोपीय संघ के कानून को सदस्य राज्यों के कानूनों पर प्रधानता प्राप्त है और इसका सीधा प्रभाव हो सकता है। संघ के विधायक समान आधार पर हैं और सीधे हैं

यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद के लिए चुने गए

संघ। हालाँकि, यूरोपीय संघ और सदस्य राज्य दोनों डब्ल्यू. टी. ओ. के सदस्य हैं और जी. ए. टी. टी.-1994 के लिए अनुबंधित पक्ष हैं। यूरोपीय संघ द्वारा संपन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते यूरोपीय संघ की कानूनी व्यवस्था का अभिन्न अंग बन जाते हैं और पदानुक्रमित रूप से दो संस्थापक संधियों और साधारण माध्यमिक कानून के बीच स्थित होते हैं, जो सिद्धांत जी. ए. टी. टी.-1994 पर लागू होता है। इस आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यूरोपीय संघ के कानून की व्याख्या यूरोपीय संघ के कानून की जी. ए. टी. टी.-1994 सुसंगत व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए डब्ल्यू. टी. ओ. के दायित्व के आलोक में की जानी है। साथ ही, लेखकों और न्यायविदों ने देखा है कि जी. ए. टी. टी.-1994 असंगतता द्वितीयक कानून के लिए व्यक्तियों और सदस्य राज्यों की चुनौती को अलग-अलग उत्तर मिले हैं क्योंकि कुछ मामलों में यह माना गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते को केवल तभी प्रत्यक्ष प्रभाव दिया जाएगा जब प्रावधान नागरिकों को अधिकार प्रदान करने में सक्षम हों। 9 प्रो. जॉन। एच. जैक्सन ने अपने निबंध में-घरेलू कानूनी प्रणालियों में संधियों की स्थिति; एक नीति विश्लेषण।

समुदाय जिसे वे अदालत के समक्ष लागू कर सकते हैं। ('आह्वान' के पहलू की नीचे अलग से जांच की गई है)।

32. यूनाइटेड किंगडम, एक संसदीय लोकतंत्र होने के नाते, संधियों में आम तौर पर प्रत्यक्ष क़ानून जैसे आवेदन नहीं होते हैं, हालांकि वे हो सकते हैं

अन्य आंतरिक प्रभाव होते हैं। यूनाइटेड किंगडम और अन्य संसदीय लोकतंत्र, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलियाई प्रणालियाँ, आम तौर पर

इसे द्वैतवादी प्रणाली का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम में, क्राउन संधियों में प्रवेश करने का संवैधानिक अधिकार है और इस विशेषाधिकार शक्ति का अदालतों द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, संधियाँ

यह स्वयं संचालित नहीं हो सकता है और इसके लिए एक सक्षम क़ानून पारित करने की आवश्यकता होती है। मैक्लेन वाटसन एंड कंपनी लिमिटेड बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के फैसले में लॉर्ड ओलिवर। व्यापार और उद्योग विभाग & Anr.[11] 11 ने नोट किया थाः

" ..... यूनाइटेड किंगडम के संवैधानिक कानून के मामले में, शाही विशेषाधिकार, जबकि यह संधियों के निर्माण को शामिल करता है, कानून में बदलाव करने या व्यक्तियों को अधिकार प्रदान करने या व्यक्तियों को उन अधिकारों से वंचित करने के लिए नहीं है जो वे संसद के हस्तक्षेप के बिना घरेलू कानून में प्राप्त करते हैं। संधियाँ, जैसा कि कभी-कभी व्यक्त किया जाता है, स्व-निष्पादित नहीं होती हैं। काफी सरलता से, एक संधि अंग्रेजी कानून का हिस्सा नहीं है जब तक कि इसे इसमें शामिल नहीं किया गया है।

कानून द्वारा "।

उस सीमा को छोड़कर जब एक संधि एक क़ानून द्वारा कानूनों में शामिल हो जाती है, यूनाइटेड किंगडम में अदालतों के पास विदेशी सरकार या यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम के नागरिक के कहने पर संधि अधिकारों और दायित्वों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। यह भी माना गया है कि संधि की शर्तों का पालन किया गया है या नहीं, इस बारे में निर्णय विशेष रूप से क्राउन के लिए मामले हैं क्योंकि 'अदालत को कार्यपालिका के समान आवाज के साथ बोलना चाहिए'। यह सिद्धांत उन मामलों में अपवादों के अधीन है जहां संधि के संदर्भ की आवश्यकता होती है ताकि उन मामलों में प्रासंगिक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की व्याख्या की जा सके जहां संधि की शर्तें एक अनुबंध में शामिल की जाती हैं या कानून एक प्रासंगिक लेकिन गैर-निगमित संधि को संदर्भित करता है। हालाँकि, एक अनिगमित अंतर्राष्ट्रीय संधि वैध अपेक्षाओं को जन्म दे सकती है कि कार्यपालिका, इसके विपरीत वैधानिक या कार्यकारी संकेतों के अभाव में, संधि के अनुरूप कार्य करेगी। कुल मिलाकर 1 0 10 विश्व व्यापार संगठन, कानून, अभ्यास और नीति मित्सुओ मात्सुशिता, थॉमस जे. शोएनबाम, पेट्रोस सी. मावरोइडिस, और माइकल हैन, पृष्ठ संख्या में तीसरा संस्करण 2015। 33-40 .

11 (1989) 3 सभी ई. आर. 523 12 लोनरो निर्यात बनाम। ईसीजीडी, [1998] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 394।

ब्रिटिश प्रजा के अन्य मामले, अधिकार और कर्तव्य संसद के एक अधिनियम से प्रभावित होते हैं जो यूनाइटेड किंगडम के भीतर विशेष संधि के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा और साथ ही, अंग्रेजी कानून में एक धारणा है कि कानून का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ टकराव से बचने के लिए लगाया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से तब लागू होता है जब संसद के अधिनियम की व्याख्या प्रश्नगत होती है, अर्थात अधिनियम को परिवर्तन के अधिनियम के परिणाम के रूप में व्याख्या करते समय। अदालतें संधि को लागू करने का इरादा रखती हैं यदि प्रावधान स्पष्ट हैं जब तक कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यूनाइटेड किंगडम में, विधायिका को ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता होती है, जो संधियों या संधि मानदंडों को घरेलू कानून में शामिल और परिवर्तित करते हैं। जर्मनी और इटली जैसे अन्य देशों में इस दृष्टिकोण में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय संवैधानिक प्रणालियों में बहुत विविधता है।

अंतर्राष्ट्रीय संधि अनुप्रयोग।

33. अब 'आह्वान' के सिद्धांत का उल्लेख करना उचित होगा। सरल शब्दों में समावेशिता न्यायसंगतता को संदर्भित करती है;

राष्ट्रीय न्यायालयों के समक्ष दावे की ग्राह्यता। यह रक्षा या रक्षा के गुणों से जुड़ा नहीं है। जहाँ 'परिवर्तन अधिनियम' की आवश्यकता होती है, वहाँ संधियाँ आंशिक रूप से या पूरी तरह से घरेलू कानून का हिस्सा बन सकती हैं। जहां संधि या उसका हिस्सा 'परिवर्तन अधिनियम' द्वारा घरेलू कानून का हिस्सा बन जाता है, तो यह स्पष्ट है कि केवल घरेलू कानून में शामिल या परिवर्तित किया गया हिस्सा ही लागू किया जा सकता है और

न्यायसंगत और ऐसे भाग नहीं जो घरेलू कानून में संहिताबद्ध नहीं हैं। हालाँकि, आह्वानशीलता में कई विचार शामिल हो सकते हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं।

और प्रत्यक्ष अनुमति देने वाले संविधानों के मामलों में विशिष्ट चिंता का विषय है

आंशिक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग का सिद्धांत और इसलिए, संधि कुछ उद्देश्यों के लिए सीधे लागू होती है न कि दूसरों के लिए। प्रोफेसर जॉन एच. जैक्सन, इस विषय पर एक प्रमुख न्यायविद, जिनके ग्रंथ और निबंधों ने हमें जी. ए. टी. टी. और जटिलताओं को समझने में मदद की है, अपने निबंध 'घरेलू कानूनी प्रणाली में संधियों की स्थिति; एक नीति विश्लेषण' में

' घरेलू कानून में प्रत्यक्ष अनुप्रयोग के मामलों में भी 'आह्वान' निम्नानुसार देखा गया है:

" यहां तक कि जब प्रत्यक्ष अनुप्रयोग का नियम सबसे अधिक शामिल है, या

सैद्धांतिक रूप से सभी संधियाँ या संधियों की कुछ व्यापक श्रेणियाँ, अदालतें संधि मानदंड को लागू करने से बचने के तरीके खोजेंगी, विशेष रूप से भारत और अन्य संघ में।

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

मामले, शायद एक या दूसरी अवधारणा पर भरोसा करके जो हो सकता है

इनवोकेबिलिटी के रूब्रिक के तहत गांठ (जैसे खड़ा होना), या पकड़कर

सरकारी एजेंसियां और निजी वादी नहीं। या अदालत कर सकती है संधि को सीधे लागू करने से इनकार करते हैं क्योंकि यह "विशिष्ट और विशिष्ट" नहीं है।

उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त सटीक, "न्याय्यता" के समान एक अवधारणा।

अन्य अयोग्य अवधारणाओं को भी नियोजित किया जा सकता है।

((iii) भारत में कानूनी स्थिति।

34. भारत में कानून अन्य राष्ट्रमंडल से बहुत अलग नहीं है।

देश। संविधान का अनुच्छेद 73 संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा को निर्दिष्ट करता है जो उन सभी मामलों तक फैली हुई है जिनके संबंध में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है और यह ऐसे अधिकारों, प्राधिकार और अधिकार क्षेत्र के प्रयोग तक फैली हुई है जो किसी संधि या समझौते के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा प्रयोग किए जा सकते हैं। अनुच्छेद का प्रावधान उपखंड (ए) के तहत कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है जिससे हम संबंधित नहीं हैं। संविधान के भाग 11 के अध्याय 1, जिसका शीर्षक 'संघ और राज्यों के बीच संबंध' है, विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार निर्धारित करता है कि 7 वीं अनुसूची की सूची 1 के संबंध में संसद को पूरे देश के लिए कानून बनाने की विशेष शक्ति है।

इनमें से कोई भी

भारत का राज्यक्षेत्र; सूची 2 (राज्य सूची) के संबंध में राज्यों की विधानसभाओं को राज्यों के पूरे या किसी भी भाग के लिए कानून बनाने की अनन्य शक्ति है और सूची 3 (समवर्ती सूची) के संबंध में संसद और राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने की शक्ति है। वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए, संविधान का अनुच्छेद 253 महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में कुछ भी होने के बावजूद, संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ किसी भी संधि, समझौते या संधि या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संघ या निकाय में किए गए निर्णयों को लागू करने के लिए भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने की शक्ति है।

35. मगनभाई ईश्वरभाई मामले में इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ

पटेल आदि। भारत संघ ने इस प्रश्न की जांच की थी कि क्या भारत सरकार को अनुमोदन के बिना समर्पण करने से रोका जाना चाहिए।

19 फरवरी 1968 के पुरस्कार में पाकिस्तान को कच्छ के रन में 'सीमांकित क्षेत्र' के रूप में सम्मानित किया गया। हिदायतुल्ला, सी. जे. द्वारा लिखित फैसले में, अपनी और तीन की ओर से

अन्य न्यायाधीशों, उन्होंने इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख किया।

13 (1970) 3 एससीसी 400 [2020] 14 एस. सी. आर.

और अन्य 1 6 16 और (i) संधि के गठन; और (ii) संधि दायित्व के निष्पादन के बीच अंतर को देखा। पहला एक कार्यकारी अधिनियम है और दूसरा एक कानूनी अधिनियम है यदि घरेलू कानून की आवश्यकता है। जब तक संसद संधि को मंजूरी नहीं देती है और पहले कार्यकारी अधिनियम को अपनी मंजूरी नहीं देती है, तब तक प्रदर्शन में कानून की कोई ताकत नहीं होती है, हालांकि कार्यकारी कार्रवाई द्वारा बनाई गई संधियां अनुबंध करने वाले राज्यों को बाध्य करती हैं और इसलिए, कानून के भीतर उनके कार्यान्वयन के लिए साधन खोजने चाहिए। नतीजतन, जब भी किसी शांति संधि में नगरपालिका निष्पादन शामिल होता है, क़ानूनों को पारित किया जाना चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करते हुए कि इस न्यायालय के उदाहरण स्पष्ट हैं कि संवैधानिक संशोधन के बिना भारतीय क्षेत्र का कोई हस्तांतरण नहीं हो सकता है, संविधान पीठ ने कहा कि सीमा विवाद के निपटारे को क्षेत्र का हस्तांतरण नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, सही सीमा रेखा का सीमांकन करके पुरस्कार को एक संचालन संधि के रूप में मानते हुए पत्रों के आदान-प्रदान द्वारा पुरस्कार को लागू करने का निर्णय सरकार की कार्यकारी शक्ति के भीतर था, और किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं थी।

36. हमारे उद्देश्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है सहमति की राय

शाह, जे. जिन्होंने ओपेनहेम के अंतर्राष्ट्रीय कानून, 8 वें संस्करण में बताए गए राज्य के नागरिकों/प्रजा के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के प्रभाव को निम्नलिखित शब्दों में उद्धृत किया थाः

" ..... ऐसी संधियाँ निजी अधिकारों को प्रभावित करती हैं और, आम तौर पर, आवश्यकतानुसार अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा उनके प्रवर्तन के लिए सामान्य का एक संशोधन

कानून या कानून को एक के माध्यम से संसदीय सहमति प्राप्त करनी चाहिए

संसद को सक्षम बनाने वाला अधिनियम। उस हद तक बाध्यकारी संधियाँ जो

अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा हैं जो कानून का हिस्सा नहीं हैं

भूमि जब तक कि विधानमंडल द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं किया जाता है।

(पृष्ठ 40)

संधि का बाध्यकारी बल सिद्धांत रूप में अनुबंध से संबंधित है

केवल राज्य, न कि उनके विषय। अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से है

केवल और विशेष रूप से राज्यों के बीच एक कानून, संधियाँ सामान्य रूप से कर सकती हैं

इसका प्रभाव केवल राज्यों पर पड़ता है। जैसा कि बताया गया है, यह नियम हो सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय द्वारा, द्वारा परिवर्तित किया जाए

15 ए. आई. आर 1955 एस. सी. 549

16 ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 644 भारत और अन्य संघ बनाम एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

प्रावधान स्व-निष्पादक हो जाते हैं। अन्यथा, यदि संधियाँ शामिल हैं विषयों के अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान

अपने नगर निगम के अनुसार आवश्यक कदम उठाने चाहिए कानून, इन प्रावधानों को उनके विषयों, न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाने के लिए,

अधिकारी, और इसी तरह।

(पृष्ठ 924) "

संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत शक्ति का उल्लेख करते हुए और

संसद द्वारा अनुच्छेद 253 के संदर्भ में कानून बनाने के लिए शाह, 1 ने आगे कहाः

" 80 ..... अनुच्छेद 73 द्वारा, संविधान के प्रावधानों के अधीन,

संघ की कार्यकारी शक्ति उन मामलों तक फैली हुई है जिनके साथ

जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। हमारा

संविधान में कानून बनाने की कोई शर्त नहीं है -

युद्ध या युद्ध के समय में एक अंतरराष्ट्रीय संधि में प्रवेश शांति। संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है।

कार्यपालिका वह राज्य है जो सभी क्षेत्रों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम है। अंतर्राष्ट्रीय मामले और समझौते, सम्मेलन या संधियों द्वारा हो सकता है

दायित्वों को वहन करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून में बाध्यकारी हैं

राज्य। लेकिन समझौते या संधियों के तहत उत्पन्न होने वाले दायित्व

भारतीय नागरिकों पर अपने बल से बाध्यकारी नहीं हैं। द.

संधियों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियाँ 10 और 14 के तहत। लेकिन

उस प्राधिकरण के तहत कानून बनाना आवश्यक है जब संधि

या समझौता नागरिकों या अन्य लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए संचालित होता है या

राज्य के कानूनों में संशोधन करता है। यदि नागरिकों के अधिकार या

अन्य जो न्यायसंगत हैं, वे प्रभावित नहीं होते हैं, कोई विधायी उपाय नहीं है समझौते या संधि को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

37. यह भी स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 253 विधायी से संबंधित है

संसद का आर और इस प्रकार संसद को शक्ति प्रदान करता है

एच यह अन्यथा नहीं हो सकता है। यह प्रावधान अनुच्छेद 73 के तहत प्रदत्त शक्ति की सीमा को स्पष्ट नहीं करता है। अन्य मेंएस, कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के परिणामस्वरूप, के अधिकार

एनएस या अन्य प्रतिबंधित या उल्लंघन किए जाते हैं, या कानूनों को संशोधित किया जाता है,

जहां कोई [2020] 14 एस. सी. आर. नहीं है, वहां सत्ता का अधिकार कानून द्वारा समर्थित होना चाहिए।

प्रतिबंध, अधिकार का उल्लंघन या कानूनों का संशोधन,

टाइव शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम है। मगनभाई अरभाई पटेल (ऊपर) के उक्ति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

" (i) केंद्र सरकार द्वारा विधिवत अनुसमर्थित संधि की शर्तों का केवल संधि के आधार पर बल नहीं है -

((ii) हालांकि कार्यपालिका (केंद्र सरकार) के पास शक्ति है - अनुच्छेद 73 (भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टियों 10 और 14 के साथ पढ़ें) के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधियों/समझौतों/सम्मेलनों में प्रवेश करने के संबंध में कानून बनाने की शक्ति

ऐसी संधियाँ/समझौते/समझौते संसद के पास होते हैं। संसद इस तरह की संधियों/समझौतों/सम्मेलनों को करने से इनकार कर सकती है। ऐसे मामले में, जबकि संधियाँ/समझौते/समझौते अन्य अनुबंध करने वाले दलों के खिलाफ भारत संघ को बाध्य करेंगे, संसद उन्हें लागू करने से इनकार कर सकती है और

डिफ़ॉल्ट रूप से भारत संघ को छोड़ दें।

(iii) हालांकि ऐसी संधियों/समझौतों/सम्मेलनों के तहत आवेदन भारत संघ (मगनभाई के मामले में "राज्य" के रूप में संदर्भित) पर बाध्यकारी हैं, ये संधियां/समझौते/सम्मेलन "अपने बल से भारत पर बाध्यकारी नहीं हैं।

राष्ट्रीय "।

((iv) ऐसी संधियों/समझौतों/सम्मेलनों के संबंध में संसद द्वारा कानून बनाना आवश्यक है जब संधि या

समझौता नागरिकों या अन्य लोगों के अधिकारों को प्रतिबंधित या प्रभावित करता है या भारत के कानून को संशोधित करता है,

(v) यदि नागरिकों या अन्य लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं या भारत के कानूनों में संशोधन नहीं किया जाता है तो ऐसी संधियों/समझौतों/सम्मेलनों को प्रभावी बनाने के लिए किसी विधायी उपाय की आवश्यकता नहीं है।

38. इससे पहले भी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड v.

बहादुर पांडे और अन्य 1 8 18 के संदर्भ में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया था:

" 5. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ आगे बढ़ना चाहिए और नगरपालिका कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान करना चाहिए, भले ही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय राय का सम्मान करते हों। राष्ट्रों के समुदाय के लिए आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम

दिलीप नेवतिया बनाम। भारत संघ, (2010) 1 बम सी. आर. 588

:

4) 2 एस. सी. सी. 534 भारत और अन्य संघ बनाम एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

व्यक्त विधायी मंजूरी के बिना भी नगरपालिका कानून में समायोजित किया जा सकता है बशर्ते वे अधिनियमों के साथ संघर्ष में न पड़ें संसद से। लेकिन जब वे इस तरह के संघर्ष में पड़ जाते हैं, तो गणराज्य की संप्रभुता और अखंडता और कानून बनाने में गठित विधानसभाओं की सर्वोच्चता को बाहरी नियमों के अधीन नहीं किया जा सकता है, सिवाय उस सीमा के जिसे स्वयं गठित विधानसभाओं द्वारा वैध रूप से स्वीकार किया जाता है। सिद्धांत

निगमन इस स्थिति को भी मान्यता देता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों को राष्ट्रीय कानून में शामिल किया जाता है और राष्ट्रीय कानून का हिस्सा माना जाता है, जब तक कि वे संसद के अधिनियम के साथ संघर्ष में न हों। राष्ट्रों का समुदाय हो या न हो, नगरपालिका कानून होना चाहिए संघर्ष के मामले में प्रबल। यदि संसद ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांत को ना कहा है तो राष्ट्रीय न्यायालय हां नहीं कह सकते हैं। राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करेंगे लेकिन यदि यह राष्ट्रीय कानून के साथ टकराव करता है तो नहीं। राष्ट्रीय अदालतें जो राष्ट्रीय राज्य के अंग हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंग नहीं हैं, उन्हें राष्ट्रीय कानून को लागू करना चाहिए यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून इसके साथ संघर्ष करता है। लेकिन न्यायालय वैध सीमाओं के भीतर एक दायित्व के तहत हैं, कि वे नगरपालिका क़ानून की इस तरह से व्याख्या करें ताकि राष्ट्रों के समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुरूप न हो। लेकिन अगर संघर्ष

अपरिहार्य है, बाद वाले को हार माननी चाहिए।

39. जॉली जॉर्ज वर्गीज और एक अन्य वी। बैंक ऑफ कोचीन 1 9 इस न्यायालय ने डिक्री ऋण के निर्वहन पर नागरिक कारावास के निषेध से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय वाचा के आवेदन पर विचार करते हुए कहा कि भले ही भारत एक वाचा का हस्ताक्षरकर्ता है और संविधान का अनुच्छेद 51 (सी) राज्य को "एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने" के लिए बाध्य करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वाचा के प्रावधानों को भारतीय न्यायालय द्वारा तब लागू किया जाना है जब भारतीय कानून में कोई विशिष्ट प्रावधान हो। अंतर्राष्ट्रीय समझौते में सकारात्मक प्रतिबद्धता घर पर विधायी कार्रवाई को प्रज्वलित करती है लेकिन स्वचालित रूप से नहीं

वाचा को भारत के कार्पस न्यायशास्त्र का एक प्रवर्तनीय हिस्सा बनाना। अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक कानून को अंतर्राष्ट्रीय संधि से पहले नगरपालिका कानून में परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए।

एक आंतरिक कानून बन जाता है। व्यक्तियों के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रवर्तनीयता पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि सामान्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का उपाय कानून में नहीं पाया जाता है

19 (1980) 2 एससीसी 360 [2020] 14 एस. सी. आर.

राज्य की अदालतें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रति स्वयं या प्रोप्रियो वीगर

40. एफोर-उद्धृत निर्णय भारत में घरेलू कानून में अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कानूनी प्रभाव पर होते हैं। इन निर्णयों का अनुपात मुख्य रूप से घरेलू कानून का एक हिस्सा और पार्सल होने के लिए 'परिवर्तन के कार्य' की आवश्यकता और जनादेश से संबंधित है और सीमित है, जो आह्वान का अधिकार प्रदान करता है। उपरोक्त निर्णयों के अनुपात को 'परिवर्तन अधिनियम' के बाद घरेलू कानून की व्याख्या करने वाले निर्णयों से अलग किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप जी. ए. टी. टी.-1994 के कौन से हिस्से हैं। इस प्रकार पक्षकारों को आह्वान का अधिकार प्रदान करने के लिए अधिनियमित। पैराग्राफ 41 से 44 में निर्दिष्ट और आयातकों द्वारा जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है, वे दूसरी श्रेणी में आते हैं।

41. इस न्यायालय को सीमा शुल्क की जांच और व्याख्या करने का अवसर मिला था

मूल्यांकन नियम, 1988 जो एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड में जी. ए. टी. टी. प्रोटोकॉल और डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे। सीमा शुल्क आयुक्त 20 और यह देखा गयाः

" 45. यह ध्यान रखना उचित होगा कि सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम, 1988 जी. ए. टी. टी. प्रोटोकॉल और डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। वास्तव में हमारे नियम जी. ए. टी. टी. और डब्ल्यू. टी. ओ. की सटीक प्रति प्रतीत होते हैं। 1988 के नियमों के तहत मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए "लेनदेन मूल्य" की अवधारणा जो शुरू की गई थी, वह आधारित थी।

उपरोक्त जी. ए. टी. टी. प्रोटोकॉल और डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते पर। वस्तुओं की कीमत की अवधारणा से बदलाव, जैसा कि शास्त्रीय रूप से समझा गया था, नए सिद्धांतों में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। लेन-देन मूल्य वस्तुओं की कीमत की क्लासिक अवधारणा से पूरी तरह से अलग हो सकता है। नियमों को पूरा अर्थ दिया जाना चाहिए और लेन-देन मूल्य में कई आइटम शामिल हो सकते हैं जो शास्त्रीय रूप से नहीं किए गए हैं।

बिक्री मूल्य का हिस्सा समझा जाता है।

42. इसी तरह, पंजाब राज्य में और एक अन्य v. देवन्स मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड और अन्य 2 1, इस न्यायालय ने तर्क की जांच करते हुए

जवाबी शुल्क लगाने के पीछे डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते का उल्लेख किया गया था जिसका पालन और पालन निम्नानुसार किया गया थाः

20 (2001) 4 एस. सी. सी. 593 21 (2004) 11 एस. सी. सी. 26 भारत और अन्य संघ बनाम।

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

" 305. आर्थिक तर्क बहुत संदिग्ध है, क्योंकि एक जवाबी शुल्क का प्रभाव आयातक देश में उत्पाद को और अधिक महंगा बनाना है। हालांकि, कुछ स्तर पर एक

स्पष्टीकरण दिया गया है। हर बार जब किसी शुल्क बाधा पर बातचीत की जाती है और उस पर सहमति होती है, तो डब्ल्यू. टी. ओ. के सदस्यों को उचित अपेक्षाएं होती हैं कि वे सदस्य के बाजार में स्थापित प्रतिस्पर्धा की शर्तों से लाभ उठा सकते हैं, जो इसके शुल्क को बाध्य कर सकते हैं और बाजार में हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा, सदस्यों ने अपने बाजार को खोलने का वादा करके बाध्यकारी के लिए "भुगतान" किया है, यानी अपने स्वयं के टैरिफ को बाध्य करके। डब्ल्यूटीओ के सदस्य अपने घरेलू उद्योग को उस उत्पाद के उत्पादन के लिए सब्सिडी देकर अपने वादों को विफल नहीं कर सकते हैं जिसके लिए पहले एक टैरिफ बाइंडिंग की पेशकश की गई है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है तो डब्ल्यूटीओ के सदस्य भविष्य में रियायतें देने के लिए प्रोत्साहन खो सकते हैं। (विश्व व्यापार संगठन-कानून, व्यवहार और व्यवहार देखें।

मित्सुओ मात्सुशिता, थॉमस जे. शोएनबाम और पेट्रोस सी. मावरोइडिस की नीति, पी। 279.) "

43. एस एंड एस एंटरप्राइज बनाम। नामित प्राधिकरण और अन्य 22, इस न्यायालय ने डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के प्रश्न की जांच करते हुए जी. ए. टी. टी. और डब्ल्यू. टी. ओ. की शर्तों का पालन करने के लिए उल्लेख किया थाः

" 4. हमारी राय में, प्रतिवादी 1 और न्यायाधिकरण द्वारा नियम 14 (डी) की व्याख्या गलत और इसकी भाषा के विपरीत है। अधिरोपण

डंपिंग रोधी शुल्क सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9-ए और नियमों के तहत है और यह टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (जी. ए. टी. टी.) का परिणाम है जिसमें भारत एक पक्ष है। इसके पीछे का मकसद

शुल्क का अधिरोपण किसी विशेष देश के निर्यातकों द्वारा घरेलू बाजारों में अनुचित व्यापार प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है। ऐसी दरों पर माल जो उस दर से कम हो जिस पर निर्यातक आम तौर पर अपने देशों में समान या समान सामान बेचते हैं ताकि घरेलू बाजार को नुकसान हो या होने की संभावना हो। डंपिंग रोधी शुल्क जी. ए. टी. टी. द्वारा मान्यता प्राप्त एक विधि है जो नुकसान को दूर करने का प्रयास करती है और साथ ही अन्य देशों के निर्यातकों के घरेलू बाजारों के हित के साथ देश के भीतर अपने उत्पादों को बेचने के अधिकार को संतुलित करती है। इस प्रकार "डंपिंग" का गठन करने वाले कारक हैं (i) उन कीमतों पर आयात जो सामान्य मूल्य से कम हैं।

निर्यातक देश में माल; (ii) घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाने के लिए निर्यात पर्याप्त होना चाहिए।

44. सीमा शुल्क आयुक्त, बैंगलोर बनाम। जीएम। निर्यात और अन्य 23, फिर से डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के प्रश्न की जांच करते हुए, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि

अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्व के जवाब में बनाए गए क़ानून का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय कानून में दायित्वों को प्रभावी बनाना है। यदि वैधानिक प्रावधान की भाषा और कन्वेंशन के संबंधित प्रावधान की भाषा में अंतर है, तो वैधानिक भाषा का अर्थ कन्वेंशन के समान ही लगाया जाना चाहिए, यदि क़ानून के शब्द यथोचित रूप से उस अर्थ को धारण करने में सक्षम हैं। 24 इस बात पर जोर दिया गया कि नगरपालिका कानून को न केवल संधि दायित्व का पालन करना चाहिए, बल्कि इसका इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि यह संधि की शर्तों के साथ असंगत न हो। व्याख्या का यह सिद्धांत इस सिद्धांत में सन्निहित है कि क़ानून को सभी सदस्य देशों द्वारा समान रूप से समझने की आवश्यकता है जो हस्ताक्षरकर्ता हैं और इसलिए, घरेलू उदाहरणों द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। व्याख्या उद्देश्यपूर्ण रूप से सामान्य अनुप्रयोग के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए न कि संकीर्ण शाब्दिक तरीके से। कभी-कभी अस्पष्टता का उत्तर सम्मेलन के उद्देश्य और संरचना में पाया जा सकता है, उपयोग की गई भाषा और जिस विषय वस्तु के साथ यह व्यवहार करता है और जिसे प्राप्त करने की मांग की गई थी वह एक समान अंतर्राष्ट्रीय संहिता है। कानूनी स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया गया थाः

" 23. उपरोक्त अधिकारियों का एक निरीक्षण निम्नलिखित निष्कर्षों पर ले जाएगाः

(1) भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 (सी) राज्य नीति का एक निदेशक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि राज्य

अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। नतीजतन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम जो घरेलू कानून के विपरीत नहीं हैं, उनका पालन इस देश की अदालतें करती हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसके लिए भारत एक नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के हस्ताक्षरकर्ता या सामान्य नियम लागू किए जाते हैं। यह ऐसी स्थिति है कि यदि घरेलू कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच टकराव होता है, तो घरेलू कानून प्रबल होगा।

(2) ऐसी स्थिति में जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र है और उक्त संधि के अनुसार एक क़ानून पारित किया जाता है, तो ऐसे क़ानून के प्रावधानों के निर्माण के लिए एक वैध सहायता है जो अस्पष्ट या अस्पष्ट हैं ताकि संधि की शर्तों का सहारा लिया जा सके ताकि एक अर्थ के पक्ष में ऐसी अस्पष्टता को हल किया जा सके जो हैः

संधि के प्रावधानों के अनुरूप।

(2016) 1 एस. सी. सी 91

23 24 एशरशेम एन. आर. वी. जेड एर्कोविट और एनर। (1976) 1 सभी ईआर 920 (एचएल)

(3) ऐसी स्थिति में जब भारत एक अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है और ऐसी संधि को आगे बढ़ाने के लिए एक क़ानून बनाया गया है,

इस तरह के क़ानून के संकीर्ण शाब्दिक निर्माण के बजाय उद्देश्यपूर्ण निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह के कानून की व्याख्या होनी चाहिए

संधि को लागू करने के उद्देश्य से पहले के घरेलू उदाहरणों के बजाय सामान्य स्वीकृति के व्यापक सिद्धांतों पर आधारित

दायित्व, और उनके साथ असंगत नहीं होना।

(4) ऐसी स्थिति में जब भारत किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने वाला राष्ट्र है, और संधि दायित्व को लागू करने के लिए एक क़ानून बनाया गया है, और यदि इस तरह के क़ानून की भाषा और संधि के संबंधित प्रावधान के बीच कोई अंतर है, तो वैधानिक भाषा का अर्थ संधि के समान ही लगाया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा जो हासिल करने की मांग की जाती है वह एक समान है। अंतर्राष्ट्रीय
विधि संहिता जिसे सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों की अदालतों द्वारा इस तरह से लागू किया जाना है जिससे समान परिणाम प्राप्त हो।

सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र "।

इस न्यायालय ने राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 के खंड (सी) का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि राज्य

अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास करना।

45. हम एंटरटेनमेंट नेटवर्क (इंडिया) लिमिटेड और ए. एन. आर. का भी उल्लेख करेंगे। वी. सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड और Ors.25, जिसमें इस न्यायालय ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के अनुप्रयोग पर विचार किया और कहा कि घरेलू/नगरपालिका कानूनों की व्याख्या करते समय, सम्मेलनों/मानदंडों पर निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भरोसा किया जा सकता है: ((i) व्याख्या के साधन के रूप में; (ii) लिए गए रुख का औचित्य या सुदृढ़ीकरण; (iii) अंतर्राष्ट्रीय दायित्व की भावना को पूरा करने के लिए जो भारत ने कब किया है।

वे मौजूदा घरेलू कानून के साथ संघर्ष में नहीं हैं; (iv) अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने और व्यापक सभ्यता को प्रतिबिंबित करने के लिए; (v) एक वाचा में निहित राहत प्रदान करने के लिए, लेकिन एक राष्ट्रीय कानून में नहीं; और (vi) कानून में अंतराल को भरने के लिए।

इसके बाद, केस-लॉ पर संदर्भ दिया गया, जिसकी शुरुआत परम पूज्य केशवानंद भारती श्रीपदगलवरु बनाम से हुई। की स्थिति

25 (2008) 13 एससीसी 30 26 (1973) 4 एस. सी. सी 225 [2020] 14 एस. सी. आर.

घरेलू कानून की अवधि का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, और आगे विसंगति के मामले में घरेलू कानून प्रबल होगा। यह भी देखा गया कि यदि भारत में इस क्षेत्र में कोई वैधानिक कानून नहीं है, तो व्याख्या, यदि कोई हो, तो हमेशा बदलते वैश्विक परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए। यह सिद्धांत को तदनुसार प्रताप सिंह बनाम में लागू किया गया था। झारखंड राज्य और ए. एन. आर. 27 किशोर न्याय अधिनियम की व्याख्या करेंगे। इसे और स्पष्ट किया गयाः

" 78. हालाँकि, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और समझौतों की प्रयोज्यता, साथ ही संकल्प आदि भी, के उद्देश्य के लिए

घरेलू क़ानून की व्याख्या करना विचाराधीन सम्मेलनों की स्वीकार्यता पर निर्भर करेगा। यदि देश निश्चित रूप से घरेलू कानून के प्रावधानों के अधीन हस्ताक्षरकर्ता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उपयोग किया जा सकता है। जहाँ अंतर्राष्ट्रीय दोनों पक्षों को सुनने का अवसर देने के साथ-साथ विभिन्न देशों में विभिन्न सामाजिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई स्तरों पर समझौतों को तैयार किया जाता है।

न्यूनतम मानक, उदाहरण के लिए, आई. एल. ओ. सम्मेलन, न्यायालय स्वतंत्र रूप से इसके लाभों का लाभ उठाएगा।

79. जिन सम्मेलनों पर भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हो सकता है, लेकिन नए संसदीय क़ानून के अधिनियमन या मौजूदा अधिनियम में संशोधन के माध्यम से उनका पालन किया गया है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सहारा लेने की अनुमति है। इस तरह का रुख पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल के फैसलों से परिलक्षित होता है।

बिहार, क्यूबिक दारुस बनाम। भारत संघ, चमेली सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, सी. मसिलामणि मुदलियार बनाम। श्री की मूर्ति स्वामीनाथस्वामी स्वामीनाथस्वामी थिरुकोइल, परिधान

निर्यात संवर्धन परिषद v. ए. के. चोपड़ा, कपिला हिंगोरानी बनाम। बिहार राज्य, पंजाब राज्य बनाम। देवन्स मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड और लिवरपूल एंड लंदन एस. पी. एंड आई. एसोसिएशन।

लिमिटेड वी. एम. वी. सी सक्सेस I "।

जी. ए. टी. टी.-1994 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए बड़े विचार-विमर्श और अभ्यास के बाद बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।

46. मानवाधिकारों (और कभी-कभी पर्यावरण के मुद्दों) को निहित करने वाले घरेलू कानून की व्याख्या करते हुए इस न्यायालय ने कुछ अवसरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों पर भरोसा किया है, जहां किसी भी मामले की शर्तें लागू होती हैं।

27 (2005) 3 एस. सी. सी. 551 भारत और अन्य संघ v. एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

कानून अनुपस्थित हैं, स्पष्ट नहीं हैं या एक से अधिक अर्थों के लिए यथोचित रूप से सक्षम हैं। ऐसे मामलों में, जहां ऐसे कानून, नियम आदि हैं जिनके अर्थ पर संधियों के अनुरूप भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह धारणा है कि संसद का इरादा राज्य संधि दायित्वों सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में कार्य करने का नहीं था। भारतीय संविधान का भाग III ए-प्रायोरी शामिल करता है और मान्यता देता है

मानव अधिकार, परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का सहारा लिया जा सकता है ताकि बेलिविक मानव अधिकार न्यायशास्त्र की स्पष्ट शब्दावली और बारीकियों की व्याख्या और उधार लिया जा सके। हालांकि, वर्तमान मामले में हम एक आर्थिक और राजकोषीय कानून या भारत संघ द्वारा लिए गए आर्थिक नीतिगत निर्णय की जांच कर रहे हैं। इसलिए मानवाधिकारों पर ये निर्णय ज्यादा मददगार नहीं होंगे। (iv) जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 और 19 का पाठ और एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 और 9 ए के अनुसार वैधानिक योजना और

सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012।

47. संधियों के प्रश्न पर सामान्य कानून और भारत और अन्य देशों में घरेलू कानून में इसके अनुप्रयोग को ध्यान में रखते हुए, हम अब जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद XI और XIX को पुनः प्रस्तुत करेंगे, जो निम्नानुसार हैं:

अनुच्छेद XI

मात्रात्मक प्रतिबंधों का सामान्य उन्मूलन

1. शुल्क, कर या अन्य शुल्कों के अलावा कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं, चाहे कोटा, आयात या निर्यात के माध्यम से प्रभावी किया गया हो।

लाइसेंस या अन्य उपाय, किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र के किसी भी उत्पाद के आयात पर या किसी अन्य संविदाकारी पक्ष के क्षेत्र के लिए नियत किसी भी उत्पाद के निर्यात के लिए निर्यात या बिक्री पर स्थापित या बनाए रखा जाएगा। 2. इस अनुच्छेद के अनुच्छेद 1 के प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) अनुबंध करने वाले निर्यातक पक्ष के लिए आवश्यक खाद्य पदार्थों या अन्य उत्पादों की गंभीर कमी को रोकने या दूर करने के लिए अस्थायी रूप से लागू किए गए निर्यात प्रतिबंध या प्रतिबंध; (ख) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के वर्गीकरण, श्रेणीकरण या विपणन के लिए मानकों या विनियमों के अनुप्रयोग के लिए आवश्यक आयात और निर्यात निषेध या प्रतिबंध; [2020] 14 एस. सी. आर.

(ग) किसी भी रूप में आयातित किसी भी कृषि या मत्स्य उत्पाद पर आयात प्रतिबंध, लागू करने के लिए आवश्यक

सरकारी उपाय जो काम करते हैं:

(i) विपणन या उत्पादन के लिए अनुमत समान घरेलू उत्पाद की मात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए, या, यदि समान उत्पाद का कोई पर्याप्त घरेलू उत्पादन नहीं है, तो ऐसे घरेलू उत्पाद के लिए जिसके लिए आयातित उत्पाद को सीधे प्रतिस्थापित किया जा सकता है; या

((ii) समान घरेलू उत्पाद के अस्थायी अधिशेष को हटाने के लिए, या, यदि समान उत्पाद का कोई पर्याप्त घरेलू उत्पादन नहीं है, तो ऐसे घरेलू उत्पाद के लिए जिसके लिए आयातित उत्पाद का उपयोग किया जा सकता है।

प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्थापित, घरेलू उपभोक्ताओं के कुछ समूहों को मुफ्त में या उससे कम कीमतों पर अधिशेष उपलब्ध कराकर

वर्तमान बाजार स्तर; या

((ग) किसी भी पशु उत्पाद के उत्पादन के लिए अनुमत मात्रा को प्रतिबंधित करना, जिसका उत्पादन सीधे, पूरी तरह से या मुख्य रूप से, आयातित वस्तु पर निर्भर है, यदि उस वस्तु का घरेलू उत्पादन अपेक्षाकृत नगण्य है।

आयात पर प्रतिबंध लागू करने वाला कोई भी संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के उप-अनुच्छेद (ग) के अनुसार कोई भी उत्पाद

भविष्य में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान आयात किए जाने की अनुमति प्राप्त उत्पाद की कुल मात्रा या मूल्य और ऐसी मात्रा या मूल्य में किसी भी परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना देना। इसके अलावा, कोई भी प्रतिबंध ऊपर (i) के तहत लागू किया गया ऐसा नहीं होगा जो कुल घरेलू उत्पादन के सापेक्ष कुल आयात को कम कर दे, उस अनुपात की तुलना में जो प्रतिबंधों के अभाव में दोनों के बीच शासन करने की उचित रूप से उम्मीद की जा सकती है। इस अनुपात को निर्धारित करने में, अनुबंध करने वाला पक्ष पिछली प्रतिनिधि अवधि के दौरान प्रचलित अनुपात और किसी भी विशेष कारक * को ध्यान में रखते हुए भुगतान करेगा जो संबंधित उत्पाद के व्यापार को प्रभावित कर सकता है या प्रभावित कर सकता है।

XX

XX

XX

अनुच्छेद XIX

विशेष उत्पादों के आयात पर आपातकालीन कार्रवाई

1. (क) यदि, अप्रत्याशित विकास और इसके तहत एक संविदाकारी पक्ष द्वारा किए गए दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप शुल्क रियायतों सहित समझौता, कोई भी उत्पाद भारत और अन्य का संघ है।

उत्पाद, उस सीमा तक और उस समय के लिए जो ऐसी चोट को रोकने या सुधारने के लिए आवश्यक हो। 2. इससे पहले कि कोई संविदाकारी पक्ष इस अनुच्छेद के अनुच्छेद 1 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करे, वह नोटिस देगा

जहां तक व्यावहारिक हो सके अनुबंध करने वाले दलों को पहले से लिखना और अनुबंध करने का खर्च वहन करना उत्पाद के निर्यातक के रूप में पर्याप्त रुचि रखने वाले दलों और अनुबंध करने वाले पक्षों के लिए एक अवसर

प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में उससे परामर्श करें। जब किसी वरीयता के संबंध में रियायत के संबंध में ऐसी सूचना दी जाती है, तो सूचना उस संविदाकारी पक्ष का नाम बताएगी जिसने कार्रवाई का अनुरोध किया है। गंभीर परिस्थितियों में, जहां देरी से नुकसान होगा जिसे ठीक करना मुश्किल होगा, इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के तहत बिना पूर्व के अस्थायी रूप से कार्रवाई की जा सकती है।

परामर्श, इस शर्त पर कि ऐसी कार्रवाई करने के तुरंत बाद परामर्श प्रभावी होगा।

3. (क) यदि कार्रवाई के संबंध में इच्छुक संविदाकारी पक्षों के बीच समझौता नहीं हुआ है, तो संविदाकारी पक्ष जो कार्रवाई करने या जारी रखने का प्रस्ताव करता है, फिर भी,

ऐसा करने के लिए स्वतंत्र, और यदि ऐसी कार्रवाई की जाती है या जारी रखी जाती है, तो प्रभावित अनुबंध करने वाले पक्ष तब मुक्त होंगे, नब्बे दिनों [2020] 14 एस. सी. आर.

ऐसी कार्रवाई किए जाने के बाद, निलंबित करने के लिए, तीस की समाप्ति पर

जिस दिन से संविदाकारी दलों द्वारा इस तरह के निलंबन की लिखित सूचना प्राप्त की जाती है, उस दिन से

इस तरह की कार्रवाई करने वाले संविदाकारी पक्ष का व्यापार, या इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 (बी) में परिकल्पित मामले में, इस तरह की कार्रवाई का अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्ष के व्यापार के लिए, इस समझौते के तहत ऐसी पर्याप्त समतुल्य रियायतों या अन्य दायित्वों का, जिनके निलंबन से संविदाकारी पक्ष सहमत नहीं हैं।

अस्वीकार करते हैं।

(ख) इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (ए) के प्रावधानों के बावजूद, जहां इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 2 के तहत पूर्व परामर्श के बिना कार्रवाई की जाती है और कार्रवाई से प्रभावित उत्पादों के घरेलू उत्पादकों के लिए एक अनुबंध पक्ष के क्षेत्र में गंभीर चोट का कारण बनती है या खतरा होता है, तो वह अनुबंध पक्ष, जहां देरी से मरम्मत करना मुश्किल हो जाएगा, कार्रवाई करने पर और पूरी अवधि के दौरान निलंबित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

परामर्श, ऐसी रियायतें या अन्य दायित्व जो चोट को रोकने या सुधारने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

48. जी. ए. टी. टी. 1994 पर हस्ताक्षर करने से दो साल पहले भारतीय संसद ने एफ. टी. डी. आर. अधिनियम लागू किया था जिसे 7 अगस्त 1992 से लागू किया गया था। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 11 से 14 तुरंत लागू हो गई और अन्य प्रावधान 19 जून 1992 को लागू हुए। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम ने आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम को निरस्त कर दिया था। 1947 और विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 1992 इस शर्त के साथ कि अध्यादेश के तहत किया गया कुछ भी या की गई कोई भी कार्रवाई एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई या की गई मानी जाएगी। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों के विवरण, जैसा कि दर्ज किया गया है, को स्वीकार करना है।

यह कि विदेशी व्यापार आर्थिक गतिविधि की प्रेरक शक्ति है क्योंकि यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और परस्पर निर्भरता बढ़ रही है और नई नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करके उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना था कि व्यापार नीतियाँ एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने के लिए एक साधन के रूप में काम करें जो निर्यात को एक मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करेगा, आयात को सुविधाजनक बनाएगा और निर्यात गतिविधि को अधिक लाभदायक बनाएगा।

49. पक्षों की दलीलों की सराहना करने के लिए, हम अब एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 और 9 ए को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसमें कहा गया है -

निम्नानुसारः

" 3. आयात से संबंधित प्रावधान करने की शक्तियाँ और निर्यात करते हैं। - (1) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, आयात को सुविधाजनक बनाकर और बढ़ाकर विदेशी व्यापार के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान कर सकती है।

निर्यात करते हैं।

(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, निषेध, प्रतिबंध या प्रतिबंध का प्रावधान भी कर सकती है। अन्यथा, सभी मामलों में या मामलों के निर्दिष्ट वर्गों में और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि कोई हो, जो आदेश द्वारा या उसके तहत किए जा सकते हैं, वस्तुओं या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात को विनियमित करनाः

बशर्ते कि सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के मामले में इस उप-धारा के प्रावधान केवल तभी लागू होंगे जब सेवा या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ उठा रहा हो या निर्दिष्ट सेवाओं या निर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के साथ काम कर रहा हो।

(3) उप-धारा (2) के तहत कोई आदेश लागू होने वाली सभी वस्तुओं को ऐसी वस्तु माना जाएगा जिसका आयात या निर्यात

(4) किसी अन्य कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश में निहित किसी भी चीज़ के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, कोई परमिट या लाइसेंस नहीं होगा। किसी भी वस्तु के आयात या निर्यात के लिए आवश्यक, न ही किसी भी वस्तु को आयात या निर्यात के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के तहत आवश्यकता हो।

XX

XX

XX

9 ए. मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने की केंद्र सरकार की शक्ति। - (1) यदि केंद्र सरकार, संचालन के बाद

ऐसी जांच जो वह उचित समझती है, वह इस बात से संतुष्ट है कि किसी भी माल का भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जाता है घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाने या खतरे में डालने के लिए, यह आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसा अधिरोपित कर सकता है -

ऐसी वस्तुओं के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध जो वह उचित समझेः बशर्ते कि [2020] 14 एस. सी. आर. तक किसी विकासशील देश से उत्पन्न होने वाली किसी भी वस्तु पर ऐसा कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।

उस देश से ऐसी वस्तुओं के आयात का हिस्सा तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है। या जहाँ ऐसी वस्तुएँ एक से अधिक विकासशील देशों से उत्पन्न होती हैं, तब तक, जब तक कि ऐसे सभी देशों से कुल आयात नौ प्रतिशत से अधिक न हो। भारत में ऐसी वस्तुओं के कुल आयात का।

(2) इस धारा के तहत लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध, जब तक कि पहले निरस्त नहीं किए जाते हैं, ऐसे अधिरोपण की तारीख से चार साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होंगेः बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या खतरे को समायोजित करने के लिए उपाय किए हैं और यह आवश्यक है कि ऐसी चोट या खतरे को रोकने और समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते रहें, तो वह उक्त अवधि को चार साल से आगे बढ़ा सकती हैः

बशर्ते कि किसी भी मामले में मात्रात्मक प्रतिबंध उस तारीख से दस साल की अवधि से आगे नहीं लगाए जाते हैं जिस दिन ऐसे प्रतिबंध पहली बार लगाए गए थे। (3) केंद्र सरकार, नियमों द्वारा उस तरीके के लिए प्रावधान कर सकती है जिसमें माल की पहचान की जा सकती है, जिसका आयात इस धारा के तहत मात्रात्मक प्रतिबंधों के अधीन होगा, और जिस तरीके से गंभीर चोट के कारण या गंभीर चोट के खतरे के कारण निर्धारित किए जा सकते हैं।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए

((क) "विकासशील देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है जिसे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो;

((i) भारत में समान वस्तुओं या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के रूप में; या ((ख) भारत में समान वस्तुओं या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है।

(ग) "गंभीर चोट" से घरेलू उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण समग्र हानि का कारण बनने वाली चोट अभिप्रेत है; भारत और अन्य का संघ v.

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

(घ) "गंभीर चोट के खतरे" का अर्थ है एक स्पष्ट और आसन्न खतरा।

गंभीर चोट)।

50. एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए अध्याय की एकमात्र धारा है।

आई. आई. आई. ए. ने 'मात्रात्मक प्रतिबंध' शीर्षक के साथ 28 और इस धारा को 27 अगस्त 2010 से 2010 के संशोधन अधिनियम 25 द्वारा जोड़ा गया था। तत्पश्चात, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 को प्रकाशित और अधिसूचित किया था, जो 24 मई 2012 को भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो गए थे, जिसका प्रासंगिक हिस्सा निम्नानुसार हैः

XX

XX

XX

2. परिभाषाएँ

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से नामित प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है।

नियम 3 के उप-नियम (1) के तहत;

(ग) "बढ़ी हुई मात्रा" में आयात में वृद्धि शामिल है चाहे पूर्ण शर्तें या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष;

(घ) "इच्छुक पक्ष" में शामिल हैं -

((i) माल का निर्यातक या विदेशी उत्पादक या आयातक।

(जो अधिरोपित करने के उद्देश्यों के लिए जाँच के अधीन है

मात्रात्मक प्रतिबंधों की रक्षा करें) या एक व्यापार या व्यवसाय

संघ, जिसके अधिकांश सदस्य उत्पादक हैं, ऐसी वस्तुओं के निर्यातक या आयातक;

((ख) निर्यातक देश की सरकार; और

((iii) समान वस्तुओं या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादक।

भारत में या किसी व्यापार या व्यावसायिक संघ में, सदस्यों का बहुमत

जो समान वस्तुओं का उत्पादन या व्यापार करते हैं या सीधे प्रतिस्पर्धी होते हैं भारत में माल;

((ङ) "समान वस्तु" से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो सभी में समान या समान हो।

जांच के तहत माल के संबंध में, या की अनुपस्थिति में

28 "भारत-कृषि, कपड़ा और औद्योगिक उत्पादों के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध" पर डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान निकाय के पैनल की रिपोर्ट ने जीएटीटी, 1994 के Art.XI में 'मात्रात्मक प्रतिबंध' अभिव्यक्ति की व्याख्या की है। पैनल के निर्णय पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं और डब्ल्यूटीओ समझौतों की बाध्यकारी व्याख्या नहीं हैं, क्योंकि उनका कोई पूर्ववर्ती मूल्य नहीं है और टकटकी निर्णय के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है। तर्क के प्रेरक होने को अपनाया जा सकता है।

ऐसी वस्तुएँ, अन्य वस्तुएँ जिनकी विशेषताएँ जांच के तहत माल से मिलती-जुलती हैं;

(च) "मात्रात्मक प्रतिबंध" का अर्थ है अधिनियम के तहत सुरक्षा उपाय के रूप में लगाए गए माल की मात्रा पर कोई विशिष्ट सीमा;

(छ) "निर्दिष्ट देश" से एक ऐसा देश या क्षेत्र अभिप्रेत है जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और इसमें वह देश या क्षेत्र शामिल है जिसके साथ भारत सरकार का समझौता है। इसे सबसे पसंदीदा राष्ट्र उपचार देने के लिए;

(2) अधिकृत अधिकारी इस उद्देश्य के लिए धारा 9ए की उप-धारा (1) के तहत जांच करने के लिए जिम्मेदार होगा। सुरक्षा संबंधी मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू करना और उसमें केंद्र सरकार को आवश्यक सिफारिश करना।

(3) विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रदान करेगा

सचिवीय सहायता और ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएँ और ऐसी अन्य सुविधाएँ जो वह उचित समझती हैं।

4. अधिकृत अधिकारी के कर्तव्य। यह प्राधिकृत अधिकारी का कर्तव्य होगा -

(क) भारत में माल के बढ़ते आयात के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे के अस्तित्व की जांच करना;

निर्दिष्ट देश; ((घ) सिफारिश करना -

((i) मात्रात्मक प्रतिबंधों की प्रकृति और विस्तार, जो यदि लगाए जाते हैं, तो गंभीर चोट या खतरे को दूर करने के लिए पर्याप्त होंगे।

((ii) मात्रात्मक सुरक्षा लागू करने की अवधि। प्रतिबंध और जहाँ इस प्रकार अनुशंसित अवधि अधिक है

सकारात्मक समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त प्रगतिशील उदारीकरण की सिफारिश करना; और

(ई) सुरक्षा को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करना।

मात्रात्मक प्रतिबंध।

मात्रा, निरपेक्ष या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष। (2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन इस प्रकार किया जाएगा -

इन नियमों के साथ जोड़ा गया प्रपत्र और इसके साथ समर्थित किया जाए

((क) इसका प्रमाण -

((i) अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि;

((ii) घरेलू उद्योग को गंभीर चोट या गंभीर चोट का खतरा; और (iii) आयात और कथित गंभीर चोट या गंभीर चोट के खतरे के बीच एक कारण संबंध;

(बी) में वृद्धि के लिए एक सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयासों, या लिए जाने की योजना, या दोनों पर एक बयान

आयात के कारण प्रतिस्पर्धा; और

(ग) एक बयान जिसमें उल्लेख किया गया है कि क्या जांच के तहत माल पर सुरक्षा कार्रवाई शुरू करने के लिए एक आवेदन भी सुरक्षा महानिदेशक को प्रस्तुत किया गया है, राजस्व विभाग।

(3) प्राधिकृत अधिकारी उप-नियम (1) के तहत किए गए आवेदन के अनुसार जांच शुरू नहीं करेगा, जब तक कि वह आवेदन में दिए गए साक्ष्य की सटीकता और पर्याप्तता की जांच नहीं करता है और खुद को संतुष्ट नहीं करता है कि पर्याप्त साक्ष्य है।

के बारे में

(क) आयात में वृद्धि; [2020] 14 एस. सी. आर.

(बी) गंभीर चोट या गंभीर चोट का खतरा; और (ग) बढ़े हुए आयात और कथित गंभीर आयात के बीच एक कारण संबंध

चोट या गंभीर चोट का खतरा।

(4) उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, अधिकृत अधिकारी स्वतः जांच शुरू कर सकता है, यदि वह किसी भी स्रोत से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट है कि -

उपनियम (3) के खंड (ए), खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

6. जाँच को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत।

(1) अधिकृत अधिकारी, भारत में किसी माल के बढ़ते आयात के परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के खतरे का निर्धारण करने के लिए जांच शुरू करने का निर्णय लेने के बाद, अपने निर्णय को अधिसूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर जानकारी होगी, अर्थात्:

(क) निर्यातक देशों के नाम, इसमें शामिल माल

और आयात की मात्रा;

((ख) जाँच शुरू करने की तारीख;

(ग) उन तथ्यों का संक्षिप्त विवरण जिस पर आरोप लगाया गया है।

गंभीर चोट या गंभीर चोट का खतरा आधारित है;

((घ) जाँच शुरू करने के कारण;

(ई) वह पता जिस पर इच्छुक पक्षों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है

निर्देशित किया जाना चाहिए; और (च) इच्छुक पक्षों को अपने विचारों को बताने के लिए दी गई समय-सीमा।

(2) अधिकृत अधिकारी जनता की एक प्रति भेजेगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों में केंद्र सरकार को नोटिस, के ज्ञात निर्यातक

माल, संबंधित निर्यातक देशों की सरकारें और अन्य इच्छुक पक्ष।

(3) प्राधिकृत अधिकारी नियम 5 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति भी प्रदान करेगा।

((क) ज्ञात निर्यातक या संबंधित व्यापार संघ;

((ख) निर्यातक देशों की सरकारें और भारत और अन्य देशों का संघ।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय में केंद्र सरकार और उद्योगः

बशर्ते कि अधिकृत अधिकारी लिखित अनुरोध पर आवेदन की एक प्रति किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति को भी उपलब्ध कराएगा। (4) अधिकृत अधिकारी निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और निर्यातक देशों की सरकारों से सूचना में निर्दिष्ट किसी भी रूप में किसी भी जानकारी के लिए एक सूचना जारी कर सकता है और ऐसी जानकारी ऐसे व्यक्तियों और सरकारों द्वारा सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी जिसे अधिकृत अधिकारी पर्याप्त कारण दिखाने पर अनुमति दे।

स्पष्टीकरण। — इस नियम के उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक सूचना और अन्य दस्तावेज उस तारीख के एक सप्ताह बाद प्राप्त हुए माने जाएंगे जिस दिन इन दस्तावेजों को पाठ्यक्रम में रखा गया था।

अधिकृत अधिकारी द्वारा इच्छुक पक्षों को संचरण।

(5) प्राधिकृत अधिकारी को अवसर प्रदान करेगा

जांच के तहत माल के औद्योगिक उपयोगकर्ता और प्रतिनिधि उपभोक्ता संगठनों को उन मामलों में जहां सामान आमतौर पर खुदरा स्तर पर बेचा जाता है, अन्य बातों के साथ-साथ जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए, उनके विचार यदि सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू करना सार्वजनिक हित में है या नहीं। (6) अधिकृत अधिकारी किसी इच्छुक पक्ष या उसके प्रतिनिधि को मौखिक रूप से जांच के लिए प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन ऐसी मौखिक जानकारी को अधिकृत अधिकारी द्वारा तभी ध्यान में रखा जाएगा जब बाद में इसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) प्राधिकृत अधिकारी जाँच में भाग लेने वाले अन्य सभी इच्छुक पक्षों को एक इच्छुक पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य उपलब्ध कराएगा।

(8) यदि कोई इच्छुक पक्ष उचित अवधि के भीतर आवश्यक जानकारी देने से इनकार करता है या अन्यथा प्रदान नहीं करता है या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो अधिकृत अधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है और ऐसी परिस्थितियों में केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

XX

XX

8. गंभीर चोट या गंभीर चोट के खतरे का निर्धारण।

अधिकृत अधिकारी अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को गंभीर चोट या गंभीर चोट के खतरे का निर्धारण करेगा, अर्थात्:

उस उद्योग की स्थिति, विशेष रूप से, पूर्ण और सापेक्ष रूप से संबंधित वस्तुओं के आयात में वृद्धि की दर और राशि, बढ़े हुए आयात द्वारा ली गई घरेलू बाजार की हिस्सेदारी, बिक्री के स्तर में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि, और रोजगार; और (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जांच, वस्तुनिष्ठ साक्ष्य के आधार पर, वृद्धि के बीच कारण संबंध के अस्तित्व को प्रदर्शित नहीं करती है।

संबंधित माल का आयात और उससे गंभीर क्षति या खतराः बशर्ते कि जब आयात में वृद्धि के अलावा अन्य कारक हैं

घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाने के साथ-साथ इस तरह के नुकसान के लिए आयात में वृद्धि को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा और ऐसे मामलों में, अधिकृत अधिकारी शिकायत को प्राधिकरण को भेज सकता है।

डंपिंग रोधी या काउंटरवेलिंग शुल्क जांच के लिए, जैसे

उचित है।

9. अंतिम निष्कर्ष। — (1) अधिकृत अधिकारी, जाँच शुरू होने की तारीख से आठ महीने के भीतर या केंद्र सरकार की अनुमति के अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर, यह निर्धारित करेगा कि क्या अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप जाँच के तहत माल के बढ़ते आयात से घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान हुआ है या होने का खतरा है, और बढ़े हुए आयात और गंभीर नुकसान के बीच एक आकस्मिक संबंध मौजूद है।

या गंभीर चोट का खतरा और सिफारिश करें -

(i) मात्रात्मक प्रतिबंधों की सीमा और प्रकृति, जो यदि लागू की जाती है, तो 'गंभीर चोट' को रोकने या सुधारने और सकारात्मक समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त होगी, जैसा भी मामला हो।

((ii) मात्रात्मक प्रतिबंधों की सीमा ताकि आयात की मात्रा हाल की अवधि के स्तर से नीचे आयात की मात्रा तक कम न हो, जो पिछले तीन प्रतिनिधि वर्षों में आयात का औसत होगा, जिसके लिए आंकड़े निम्नलिखित हैं -

उपलब्ध और औचित्य यदि एक अलग स्तर की आवश्यकता है

गंभीर चोट को रोकें या ठीक करें; (iii) आपूर्ति करने वाले देशों के बीच आवंटित किया जाने वाला कोटा, और ऐसे निर्दिष्ट देशों के लिए कोटा में शेयरों का आवंटन जो आपूर्ति करने में पर्याप्त रुचि रखते हैं।

सामान;

((iv) मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू करने की अवधि और जहां मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू करने की अवधि एक वर्ष से अधिक है, प्रगतिशील उदारीकरण

सकारात्मक समायोजन की सुविधा प्रदान करें।

(2) अंतिम निष्कर्ष यदि सकारात्मक हों तो उनमें तथ्यों और कानून और उन कारणों के बारे में सभी जानकारी होगी जिनके कारण निष्कर्ष निकाला गया है। (3) अधिकृत अधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों को दर्ज करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा।

(4) अधिकृत अधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों के संबंध में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति केंद्र सरकार को भेजेगा।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और इच्छुक पक्षों को इसकी एक प्रति।

10. सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंधों का अधिरोपण।

केंद्र सरकार उप-धारा (I) के तहत आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना द्वारा अधिकृत अधिकारी की सिफारिश पर आधारित हो सकती है।

अधिनियम की धारा 9 ए के तहत अंतिम निर्धारण के अंतर्गत आने वाले माल के भारत में आयात पर एक सुरक्षा कवच अधिरोपित किया गया है। मात्रात्मक प्रतिबंध उस राशि या मात्रा से अधिक नहीं है जो गंभीर चोट को रोकने या ठीक करने और समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त पाई गई है।

11. गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंधों का अधिरोपण।

इन नियमों के तहत वस्तुओं पर लगाए गए कोई भी सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंध सभी के लिए गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर लागू किए जाएंगे।

माल का आयात, चाहे वह किसी भी स्रोत से हो।

12. सुरक्षा मात्रात्मक शुरू होने की तिथि

प्रतिबंध। — इन नियमों के तहत लगाए गए सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंध

अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा

आधिकारिक राजपत्र, इस तरह के मात्रात्मक प्रतिबंधों को लागू करता है।

13. अवधि.

(1) नियम 10 के तहत लगाए गए सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंध ऐसी अवधि के लिए होंगे जो रोकथाम या रोकथाम के लिए आवश्यक हो। गंभीर चोट का उपचार और समायोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए।

(2) उप-नियम (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, नियम 10 के तहत लगाए गए सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंध, जब तक कि पहले निरस्त नहीं किए जाते हैं, तब तक इसके लागू होने की तारीख से चार साल की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होंगेः बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार की राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी गंभीर चोट या खतरे को समायोजित करने के लिए उपाय किए हैं और यह आवश्यक है कि ऐसी गंभीर चोट या खतरे को रोकने और सुविधा प्रदान करने के लिए सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए जाते रहें।

समायोजन, यह अवधि को चार साल से आगे बढ़ा सकता हैः बशर्ते कि किसी भी मामले में सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंध दस साल की अवधि के बाद भी लागू नहीं किए जाएंगे। जिस तारीख को इस तरह के प्रतिबंध पहली बार लगाए गए थे।

14. सुरक्षात्मक मात्रात्मक प्रतिबंधों का उदारीकरण। -

यदि सुरक्षा की अवधि मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए गए हैं नियम 10 के तहत एक वर्ष से अधिक समय के लिए प्रतिबंध को लागू करने की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर धीरे-धीरे उदार बनाया जाएगा।

(v) आर अधिनियम की धारा 3 और 9 ए पर आयातकों का तर्क और भारत संघ द्वारा प्रतिक्रिया।

51. एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 और 9 ए की संबंधित धाराओं की व्याख्या पर जाने से पहले, हम आयातकों की दलीलों को पुनः प्रस्तुत करना चाहेंगे। आयातकों का कहना है कि आर. ए. टी. को विकास और विनियमन के लिए लागू किया गया था।

भारत और अन्य देशों के संघ से आयात को सुविधाजनक बनाकर और निर्यात को बढ़ाकर व्यापार को नियंत्रित करना।

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

भारत और जी. ए. टी. टी.-1994 के दायित्वों के अनुरूप भारत को प्रतिस्पर्धी बनाना। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 उक्त स्थिति को दर्शाती है और जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 को शामिल करती है जिसमें कहा गया है कि

किसी भी संविदाकारी पक्ष द्वारा शुल्क, करों और अन्य शुल्कों के अलावा कोई प्रावधान या प्रतिबंध नहीं होगा। धारा 9 ए लगभग एक प्रतिकृति है

जी. ए. टी. टी.-1994 का अनुच्छेद XIX और यह एकमात्र प्रावधान है जो केंद्र सरकार को आयात पर 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लगाने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, यह इस प्रकार है कि जब तक एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए की शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तब तक भारत संघ द्वारा विवादित अधिसूचनाओं के माध्यम से कोई 'मात्रात्मक प्रतिबंध' नहीं लगाया जा सकता था। धारा 9 ए एक विशेष प्रावधान है जो 'मात्रात्मक' से संबंधित है।

प्रतिबंध ', जबकि धारा 3 एक सामान्य प्रावधान है। भारत संघ धारा 3 का सहारा नहीं ले सकता है जब धारा 9 ए की शर्तें संतुष्ट नहीं होती हैं और 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लागू करती हैं, अन्यथा, धारा 9 ए इस कारण से निरर्थक हो जाएगी कि भारत संघ कर सकता है

हमेशा सामान्य शक्ति के तहत 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लागू करें। यह जी. ए. टी. टी.-1994 के तहत भारत के दायित्व के अनुरूप होगा और घरेलू या नगरपालिका कानून को जी. ए. टी. टी.-1994 दायित्वों के अनुरूप माना जाना चाहिए।

52. धारा 9 ए के तहत लगाए जाने वाले मात्रात्मक प्रतिबंधों के लिए

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की निम्नलिखित शर्तों को संचयी रूप से पूरा किया जाना चाहिए,

अर्थात्, (ए) आयात की मात्रा में वृद्धि (बी) जिसने (सी) घरेलू उद्योगों को गंभीर नुकसान पहुँचाया है या गंभीर नुकसान पहुँचाने का खतरा पैदा किया है। इसके अलावा, नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकरण को कार्यवाही शुरू करनी होती है, जांच करनी होती है, पक्षों को सुनना होता है और शर्तों की संतुष्टि पर निर्णय लेना होता है। वर्तमान मामले में, निम्नलिखित तालिका के अनुसार आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है:

1 अप्रैल-31 मार्च

मटर मीट्रिक टन में

2014-2015

19,51,973

22,45,390

2015-2016

31,02,75729.

2016-2017

2017-2018

28,77,032

8,51,408

2018-2019

6,66,69630

2019-2020

29 भारत संघ के अनुसार, 2016-17 में मटर का आयात 31,72,758 मीट्रिक टन था। 30 भारत संघ के रूप में, 2016-17 में मटर का आयात 6,52,607 मीट्रिक टन था।

' वित्तीय वर्ष 2018 में 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लगाए गए थे।

इसके अलावा, भारत संघ ने स्वयं कहा है कि दालों और मटर के आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है। भारत संघ द्वारा लिखित प्रस्तुतियों के पैराग्राफ 5 और 9 का उल्लेख किया गया था, जो निम्नानुसार हैं:

कृषि के आयात/निर्यात से संबंधित मामलों में हितधारक वस्तुओं और सरकार के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

घरेलू उत्पादकों और आयातकों के हित। अतः जब भी

यह देखा गया है कि किसी वस्तु का बड़े पैमाने पर आयात प्रतिकूल है।

में गिरावट के कारण घरेलू उत्पादकों के हित को प्रभावित करना

स्थानीय बाजार में कीमतें, सरकार के परामर्श से

संबंधित हितधारक, घरेलू हितों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं

आयात पर प्रतिबंध जैसे उपयुक्त उपायों के माध्यम से उत्पादक

कोटा आदि।

एक्सएक्स

एक्सएक्स

XX

मटर के आयात पर प्रतिबंध। पीयर मटर जो मुख्य रूप से भारत में आयात मुख्य रूप से कनाडा, रूस जैसे देशों में किया जाता है।

यूक्रेन आदि। इन देशों की कृषि-जलवायु स्थितियों के कारण

वे थोक में मटर का निर्यात करते हैं। इसलिए पीली मटर की कीमत कम है।

अन्य आयातित/घरेलू रूप से उपलब्ध दालों की तुलना में,

ग्राम सहित। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि चना का अंतिम उपयोग मुख्य रूप से है

आटा, जिसे आमतौर पर "बेसन" के रूप में जाना जाता है, भारतीय व्यंजनों की तैयारी में उपयोग किया जाता है।

स्वादिष्ट। उद्योग के अनुमानों के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत चना

उत्पादित का उपयोग बेसन के निर्माण में किया जाता है। यह सूचित किया जाता है कि

पीले मटर बनाने में चने के लिए लगभग एक आदर्श विकल्प हैं। बेसन से। भारत में आयातित पीली मटर की कीमत सस्ती है।

चने के घरेलू बाजार मूल्य की तुलना में, उद्योग में एक बड़ा बदलाव

चना से लेकर पीले मटर तक का उपयोग हुआ था। आपूर्ति में वृद्धि

चने की कीमतों में। इस प्रकार, चना की बड़े पैमाने पर खरीद के बावजूद रबी 2018 और 2019 में पी. एस. एस. योजना के तहत चने की कीमतें

सरकार द्वारा घोषित एम. एस. पी. से नीचे बना रहा। इस प्रकार, भारत संघ ने स्वयं स्वीकार किया है कि

धारा 9 ए के प्रावधानों ने तब विवादित को जारी करने के लिए प्रेरित किया था

कैटायन लेकिन उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया

केबल नियम।

53. भारत संघ ने 26 जून 2020 को दायर अपने हलफनामे में अनुरोध किया है कि उन्हें दोनों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। स्थानीय बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण बड़े पैमाने पर आयात के रूप में किसानों और आयातकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर मूंग, उड़द और तूर दाल और चना के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम. एस. पी.) का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के तहत पिछले पांच वर्षों में 53 लाख किसानों को एम. एस. पी. का भुगतान करके उनसे सीधे 85 लाख एम. टी. दालों की खरीद की गई थी। दालों का उत्पादन भी 25.42 मिलियन मीट्रिक टन से 2017-18 में 26.66 मिलियन मीट्रिक टन से 2020-21 में बढ़ गया। आयातित पीले मटर बेसन बनाने में चना के लिए एकदम सही विकल्प हैं जिसका उपयोग मुख्य रूप से भारतीय व्यंजनों की तैयारी में किया जाता है। चूंकि भारत में आयातित पीले मटर की कीमत चने की घरेलू कीमत से सस्ती है, इसलिए उद्योग के उपयोग में चना से पीले मटर की ओर एक बड़ा बदलाव आया है। इन परिस्थितियों में कि सरकार ने अनुमति प्राप्त आयात के लिए वार्षिक कोटे की एक छोटी सी अवधि के साथ अप्रैल, 2018 से प्रतिबंध लगा दिए हैं।

हालांकि, विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को देखते हुए, मटर का वास्तविक आयात क्रमशः 2018-2019 और 2019-2020 में 8,51,408 मीट्रिक टन और 6,52,607 मीट्रिक टन था, हालांकि वार्षिक कोटा

भारत बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में जो कारण बने या घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान पहुँचाने का खतरा। धारा 9ए को जी. ए. टी.-1994 [2020] 14 एस. सी. आर. के अनुच्छेद XIX के संदर्भ में एक सुरक्षा तंत्र के रूप में अधिनियमित किया गया है।

और सुरक्षा उपायों पर डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते का अनुच्छेद II, संशोधन अधिनियम, 2010 के माध्यम से। चुनौती के तहत अधिसूचनाएं एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 की स्पष्ट शर्तों के भीतर जारी की गई हैं जो केंद्र सरकार को धारा 9ए में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी भी योग्यता के बिना प्रतिबंध लगाने की अनुमति देती है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 और धारा 9ए के तहत मात्रात्मक प्रतिबंधों के तहत सीमित मात्रा में आयात को प्रतिबंधित करने की केंद्र सरकार की शक्ति पूरी तरह से अलग है और इसका कोई संबंध या परस्पर क्रिया नहीं है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत शक्ति का विस्तार व्यापक है। यह दावा करने के लिए नियम 5 (2) का भी संदर्भ दिया गया है कि इस बात के प्रमाण की आवश्यकता है कि घरेलू उद्योग को गंभीर चोट या गंभीर नुकसान के खतरे और आयात और गंभीर नुकसान के बीच एक कारण संबंध का खुलासा करने वाले साक्ष्य की आवश्यकता के अलावा 'अप्रत्याशित विकास' के परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई थी। प्रतिबंध आयात की बढ़ती मात्रा के कारण नहीं बल्कि किसानों द्वारा घबराहट के निपटान को रोकने के लिए लगाए गए हैं क्योंकि चने की कीमतें कम हो जाएंगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के 9ए जैसे विशेष प्रावधान सामान्य को छोड़कर इसके दायरे में आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे।

अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए स्वतंत्र प्रावधान।

54. एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 में, जैसा कि अधिनियमित किया गया था, उप-धारा (2) में परंतुक जोड़कर और 2010 के अधिनियम 25 द्वारा उप-धारा (4) को अंतःस्थापित करके 25 अगस्त 2010 से संशोधन किए गए थे। धारा 3 की उप-धारा (1) में कहा गया है कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा, 2. आयात को सुविधाजनक बनाकर और निर्यात को बढ़ाकर विदेशी व्यापार का विकास और विनियमन। यह एक सामान्य प्रावधान है जिसका जी. ए. टी. टी.-1994 का कोई संदर्भ नहीं है। यह केंद्र सरकार को विदेशी व्यापार, यानी आयात और निर्यात के विकास और विनियमन के लिए आधिकारिक राजपत्र में एक आदेश प्रकाशित करने के लिए अधिकृत करता है। उप-धारा (2) में कहा गया है कि केंद्रीय

सरकार, आधिकारिक राजपत्र में एक आदेश द्वारा, सभी या निर्दिष्ट मामलों में वस्तुओं के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित या अन्यथा विनियमित करने के लिए एक प्रावधान कर सकती है और ऐसे अपवादों के अधीन, यदि कोई हो, और 2010 के अधिनियम 25 के संशोधन के बाद, सेवाओं या प्रौद्योगिकी। इसलिए, धारा 3 की उप-धारा (2) केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा,

आयात या निर्यात को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान। आयात या निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंधों का अधिरोपण स्पष्ट रूप से एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत आएगा। हम भारत संघ और अन्य से चिंतित नहीं हैं।

एग्रीकास एलएलपी [संजीव खन्ना, जे.]

वर्तमान मामले में उप-धारा (2) का परंतुक। धारा 3 की उप-धारा (3) में कहा गया है कि जहां उप-धारा (2) के तहत कोई आदेश पारित किया जाता है, जिसके तहत माल का आयात या निर्यात निषिद्ध, प्रतिबंधित या अन्यथा होता है। विनियमित, विचाराधीन वस्तुओं को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के तहत निषिद्ध वस्तु माना जाएगा और तदनुसार बाद के अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

55. 27 अगस्त 2010 से 2010 के अधिनियम 25 द्वारा शुरू किए गए एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9ए की उप-धारा (4) के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता है -

व्याख्या। एक ओर उप-धारा में कहा गया है कि वस्तुओं के आयात या निर्यात के लिए किसी परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, न ही किसी भी वस्तु को आयात या निर्यात से प्रतिबंधित किया जाएगा, सिवाय इसके कि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के तहत आवश्यकता हो। साथ ही, 'किसी अन्य कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश में निहित किसी भी चीज़ के प्रति पूर्वाग्रह के बिना' वाक्यांश का उपयोग करके, यह अन्य कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश के संचालन की इस हद तक रक्षा करता है कि वे माल के आयात या निर्यात के लिए आवश्यक परमिट या लाइसेंस के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सौदा नहीं करते हैं या माल के आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करते हैं। ऐसे कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश का संचालन जो माल के आयात पर प्रतिबंध पर आयात या निर्यात के लिए आवश्यक परमिट या लाइसेंस से संबंधित नहीं है, इसलिए संरक्षित है और ओवरराइड नहीं किया जाता है। इसलिए धारा 3 की उप धारा (4) एफ. टी. डी. आर. अधिनियम को सीमित प्रधानता देती है, इसे एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के दायरे और विषय वस्तु तक सीमित करती है, न कि अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए। यह एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 18ए से भी स्पष्ट है जिसे 27 अगस्त 2010 से 2010 के अधिनियम 25 द्वारा अधिनियमित और अंतःस्थापित किया गया था और यह निम्नानुसार हैः

" 18ए. अन्य कानूनों का प्रयोग वर्जित नहीं है। प्रावधान इस अधिनियम का प्रावधान उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा और उनका अपमान नहीं करेगा।

अतः एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के प्रावधान, उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं और उनका अपमान नहीं करते हैं। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 और धारा 18ए की उप-धारा (4) को सामंजस्यपूर्ण ढंग से पढ़ने और व्याख्या करने का यह सही तरीका होगा। हम, इस स्तर पर, ध्यान दे सकते हैं कि मूल संशोधन में 'किसी अन्य कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश में कुछ भी निहित होने के बावजूद' वाक्यांश का उपयोग किया गया था, लेकिन स्थायी समिति ने ध्यान दिया था विरोधाभास और उप-नियम (4) को लागू करने के पीछे का उद्देश्य और उद्देश्य भी और सिफारिश की थी कि उक्त अभिव्यक्ति को 'किसी अन्य [2020] 14 एस. सी. आर. में निहित किसी भी चीज़ के प्रति पूर्वाग्रह के बिना' अभिव्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

कानून, नियम, विनियमन, अधिसूचना या आदेश '। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4), इसलिए, आयात और निर्यात के संदर्भ में या

वस्तुओं के आयात या निर्यात के निषेध में कहा गया है कि एफ. टी. डी. आर. अधिनियम, नियमों या उसके तहत बनाए गए आदेशों के अलावा किसी भी परमिट या लाइसेंस की आवश्यकता या आवश्यकता नहीं होगी। एफ. टी. ए. की धारा (2) के खंड (एच) के अनुसार 'आदेश' पद का अर्थ है धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कोई भी आदेश। इसलिए, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि विवादित अधिसूचनाओं या आदेशों को जारी करने में एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 का कोई उल्लंघन नहीं है, जो अधिकार के भीतर हैं और अधिकार से बाहर नहीं हैं।

वायर्स। 56. हम पहले ही जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 1131 को पुनः प्रस्तुत और उद्धृत कर चुके हैं और हमें यह कहना होगा कि इसे सांविधिक रूप से 'परिवर्तन अधिनियम' का विषय नहीं बनाया गया है और इसे घरेलू विधान, यानी एफ. टी. डी. आर. अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम कानून नहीं बनाता है और

जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 को परिवर्तित करें। जैसा कि ऊपर देखा गया है, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 केंद्र सरकार, यानी भारत संघ को वस्तुओं के आयात या निर्यात के लिए नीति, नियम या विनियम बनाने का अधिकार देती है और उसे अधिकृत करती है। यह नीति अधिनियम की धारा 5 के तहत बनाई गई है, जो

यह नीचे लिखा है:

" 5. विदेश व्यापार नीति। - केंद्र सरकार समय-समय पर आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विदेश व्यापार नीति तैयार और घोषित कर सकती है और उसी तरह उस नीति में भी संशोधन कर सकती है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार यह निर्देश दे सकती है कि,

विशेष आर्थिक क्षेत्रों की विदेश व्यापार नीति वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर ऐसे अपवादों, संशोधनों और अनुकूलन के साथ लागू होगी, जो इसके द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं - आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना "।

इस प्रकार, केंद्र सरकार अर्थात भारत संघ को इसके गठन के संबंध में आवश्यक विवेकाधिकार और चुनाव दिया गया है -

वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के आयात और निर्यात के लिए नीतियाँ। इसलिए, अनुच्छेद 11 सहित जी. ए. टी. टी.-1994 का कार्यान्वयन प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है।

57. जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 के खंड (2) में कहा गया है कि अनुच्छेद (1) के प्रावधान तीन निर्दिष्ट स्थितियों तक विस्तारित नहीं होंगे जैसा कि उपखंड (ए), (बी) या (सी) में कहा गया है। खंड (ग) आयात प्रतिबंधों से संबंधित है

31 पैराग्राफ 47 (ऊपर)।

कोई भी कृषि या मत्स्य उत्पाद, जिसमें निर्दिष्ट सरकारी उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक किसी भी रूप में आयात किया जाता है। इसी तरह, जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (1) के प्रावधानों के बावजूद, कोई भी संविदाकारी पक्ष अपनी बाहरी वित्तीय स्थिति और अपने भुगतान संतुलन की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगा सकता है।

आयात किए जाने की अनुमति प्राप्त माल की मात्रा या मूल्य, उस अनुच्छेद के पैराग्राफ के प्रावधानों के अधीन। पैराग्राफ 23 (उपरोक्त) में कई अन्य प्रावधानों को सूचीबद्ध किया गया है, जो अपवादों की अनुमति देते हैं और अनुमति देते हैं। हमने इन प्रावधानों का उल्लेख इस बात को उजागर करने के लिए किया है कि अनुच्छेद 11 का अनुच्छेद (1) एक पूर्ण नियम नहीं है। यह के रूप में अपवादों के अधीन है

अनुच्छेद 11 का अनुच्छेद (2), अनुच्छेद 12 और अन्य प्रावधान। बेशक, जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुरूप होने के लिए एक अनुबंधित पक्ष के लिए संबंधित अनुच्छेदों को निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करना होगा।

58. जब हम एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9ए की व्याख्या करते हैं तो इस स्थिति का संदर्भ आवश्यक और आवश्यक है जिसे हम स्वीकार करेंगे।

59. एफ. टी. ए. की धारा 9ए को 2010 के अधिनियम 25 द्वारा स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार अधिनियमित किया गया था। इसके अंतर्गतः

खंड 9 शीर्षक के साथ एक नया अध्याय IIIA सम्मिलित करने का प्रयास करता है।

" मात्रात्मक प्रतिबंध ", अधिनियम की धारा 9 के बाद, केंद्र सरकार की मात्रात्मक लागू करने की शक्ति से संबंधित है।

प्रतिबंध। समिति को सूचित किया गया कि प्रस्तावित संशोधन आयात में वृद्धि के मामले में घरेलू उद्योग को गंभीर नुकसान से बचाने के लिए मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यू. आर.) लगाने की अनुमति देने के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान करना चाहता है। हालांकि इस तरह के उपाय सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों के लिए उपलब्ध हैं, फिर भी [2020] 14 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मात्रात्मक प्रतिबंधों के रूप में सुरक्षा उपाय हैं - किसी भी भारतीय कानून के तहत प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अनुसार

सुरक्षा उपायों को शामिल करने का प्रावधान

और सुरक्षा उपायों पर डब्ल्यूटीओ समझौता। धारा 9 ए में कुछ संशोधनों के साथ,

जी. ए. टी.-1994 के अनुच्छेद XIX के प्रावधान। 2012 में बनाए गए नियम भी जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद XIX के संदर्भ में किए गए सुरक्षा उपायों पर डब्ल्यू. टी. ओ. समझौते के प्रावधानों के अनुरूप हैं। सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 के नियम 5 के उप-नियम (3) में नियम 9 ए की प्रयोज्यता के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो हैं: (i) आयात में वृद्धि; (ii) गंभीर चोट या गंभीर चोट का खतरा; और (iii) बढ़े हुए आयात और कथित गंभीर चोट या गंभीर चोट के खतरे के बीच एक कारण संबंध। अभिव्यक्ति 'बढ़े हुए आयात' को बढ़ी हुई मात्रा के संदर्भ में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष आयात में वृद्धि। धारा 9 ए के उपखंड (4) के खंड (सी) और (डी) में 'गंभीर चोट' और 'गंभीर चोट का खतरा' शब्दों को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है घरेलू उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण समग्र हानि और गंभीर चोट का स्पष्ट और आसन्न खतरा। 'घरेलू उद्योग' शब्द को खंड (बी) से लेकर धारा 9 ए की उप-धारा (4) में भी परिभाषित किया गया है। इसी तरह, 'इच्छुक पक्ष' अभिव्यक्ति को उप-नियम में परिभाषित किया गया है। (घ) सुरक्षा उपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) नियम, 2012 के नियम 2 के लिए और इसमें निर्यातक या विदेशी उत्पादक या व्यापार या व्यावसायिक संघ पर सुरक्षा मात्रात्मक प्रतिबंध लगाने के उद्देश्यों के लिए माल का आयातक शामिल है। इसमें निर्यातक देश की सरकार या भारत में वस्तुओं या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का उत्पादक या एक व्यापार या व्यावसायिक संघ भी शामिल है।

60. धारा 9 ए को लागू करने की आवश्यकता दायित्वों से उत्पन्न हुई

(1) जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 का। प्रथा मूल्यांकन नियमों को लागू करके इसी तरह के 'परिवर्तन के कार्य' किए गए हैं। 32 "अप्रत्याशित विकास" शब्द एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9 ए और नियम 5 (3) में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन उनका उल्लेख नियम 5 (2) में मिलता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने "अप्रत्याशित विकास" स्थापित करने की आवश्यकता की जांच और निर्णय नहीं लिया है।

डंपिंग रोधी, काउंटरवेलिंग शुल्क आदि लेकिन पूरे जी. ए. टी. टी.-1994 में ऐसा नहीं है।

वैधानिक कानून या प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से स्थानांतरित और अधिनियमित किया गया है।

61. यह स्थिति होने के कारण, धारा 9ए की व्याख्या एक पलायन प्रावधान के रूप में की जानी चाहिए जब केंद्र सरकार यानी भारत संघ

जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद XIX के पैराग्राफ (1) की कठोरता से बच सकते हैं। धारा 9ए एक ऐसा प्रावधान नहीं है जो अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (1) को या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा घरेलू कानून में शामिल करता है या स्थानांतरित करता है। इसके विपरीत, हम यह मानेंगे कि केंद्र सरकार के पास एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9ए के अलावा 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लगाने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं है। यह विधायी इरादे और उद्देश्य के विपरीत होगा। एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9ए केंद्र सरकार की लागू करने की शक्ति को कम या अस्वीकार नहीं करती है।

एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) के तहत आयात पर प्रतिबंध।

62. दूसरे शब्दों में, आक्षेपित अधिसूचनाएं वैध होंगी क्योंकि वे में प्रदत्त शक्ति के अनुसार जारी की गई हैं

इसलिए, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 9ए द्वारा उप-धारा (2) से धारा 3 के तहत आयात पर प्रतिबंध पूरी तरह से कम नहीं किया गया है। 63. निष्पक्ष होने के लिए, आयातकों की ओर से पेश विद्वान वकील ने स्वीकार किया था कि वे भारत में घरेलू अदालतों में जी. ए. टी. टी.-1994 के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ (1) के उल्लंघन को लागू या दावा नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उक्त अनुच्छेद को स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा घरेलू कानून, यानी एफ. टी. डी. आर. अधिनियम में शामिल और स्थानांतरित नहीं किया गया है।

64. वर्तमान मामले में, इस न्यायालय को जी. ए. टी. टी. के संदर्भ में संविदाकारी पक्षों के दायित्वों पर निर्णय लेने और उनकी जांच करने के लिए नहीं कहा गया है।

1994. हमारे निष्कर्ष और अनुपात एफ. टी. डी. आर. अधिनियम की धारा 3 और 9ए की व्याख्या तक सीमित और सीमित हैं और उस संदर्भ में हमने जी. ए. टी. टी.-1994 का उल्लेख किया है। घ. अंतरिम आदेशों और आंशिक राहत के लिए प्रार्थना के तहत प्रामाणिक आयातकों का विवाद।

65. कुछ आयातकों के विद्वान वकील ने राज प्रकाश केमिकल बनाम पर निर्भरता रखी थी। भारत संघ 3 3, जो निर्णय, में

हमारी राय का कोई अनुप्रयोग नहीं है। राज प्रकाश केमिकल (उपरोक्त) मामले में, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालयों के निर्णयों और आदेशों और अधिकारियों द्वारा दी गई व्याख्या को देखते हुए एक प्रामाणिक विश्वास के तहत काम किया था। इस पृष्ठभूमि में, लाभ देने के लिए अवलोकन किए गए थे आयातक, विपरीत कानूनी व्याख्या के बावजूद। तत्काल मामले में, आयातक उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों पर भरोसा करते हैं, जबकि जिस तारीख को उन्होंने रिट याचिका दायर की थी और अंतरिम आदेश प्राप्त किए थे, मद्रास उच्च न्यायालय ने अधिसूचना को बरकरार रखते हुए रिट याचिका को खारिज कर दिया था। इसी तरह, बॉम्बे उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उनके समक्ष दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था और अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों को बरकरार रखा था। बर्खास्तगी के बावजूद, आयातकों ने व्यक्तिगत लाभ और लाभ के लिए अपना मौका लिया। तदनुसार उन्हें कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इनमें

परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि आयातकों को अनुरोध किए गए अधिकार में सच्चा विश्वास था।

E. क्या तय नहीं किया गया है

और निर्णय लिया और इसलिए हम कोई टिप्पणी और अवलोकन नहीं करते हैं। आयातक (ओं) द्वारा पसंद की गई वैधानिक अपील, यदि कोई हो, पर निर्णय लिया जाएगा। कानून के अनुसार।

एफ. निष्कर्ष

67. तदनुसार, हम विवादित अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों को बरकरार रखते हैं और आयातकों द्वारा दी गई चुनौती को अस्वीकार करते हैं। अंतरिम आदेशों के आधार पर किया गया आयात, यदि कोई हो, एफ. टी. डी. आर. अधिनियम के तहत जारी अधिसूचनाओं और व्यापार नोटिसों के विपरीत माना जाएगा और

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत इस तरह से निपटा जाएगा। स्थानांतरण याचिकाओं की रिट याचिकाओं की विषय वस्तु, उपरोक्त ई के अधीन (जो तय नहीं किया गया है) खारिज कर दी जाती है। संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष हस्तक्षेप करने वालों द्वारा दायर रिट याचिकाएं इस निर्णय के संदर्भ में खारिज हो जाएंगी। लंबित आवेदन, यदि कोई हैं, तो भी उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाते हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

याचि

का का निपटारा

दिव्या पांडे